उन्नति विचार

वर्ष : 7 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2002

## अनुक्रम

**संपादकीय** 1

**विकास विचार** 2
यौन शोषण:
स्त्रियों के गौरवमय अस्तित्व का अस्वीकार

**नज़रिया** 12
महिलाओं का उत्पीड़न और नारीवाद

**आपके लिए** 17
ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता और महिलायें

**अपनी बात** 24
प्राकृतिक आपदा के पश्चात् महिलाओं की विशिष्ट जरूरतें भचाउ (गुजरात) और आसपास के गाँवों का अध्ययन

**संदर्भ सामग्री** 28

**अपने बारे में** 31

**संपादकीय टीमः**
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें।

**केवल सीमित वितरण के लिए**

## संपादकीय

### सभ्य समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी

भारत के प्राचीन इतिहास में विदुषी महिलाओं और महिला शासकों के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। यहाँ महिलाओं के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा की सदैव रक्षा की गई है। इसकी अनेक पौराणिक गाथाएँ मौजूद हैं। महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार देने वाले देशों में भारत भी एक है। भारतीय संविधान ने स्त्रियों और पुरुषों को एक समान अधिकार प्रदान किये हैं। इन तमाम कारणों से ऐसा कहा जाता है कि भारत में स्त्रियाँ समाज की स्वतंत्र एवं समान सदस्य हैं। परंतु सरकारी प्रतिवेदनों, सर्वेक्षणों एवं संचार-माध्यमों में रोजाना सामने आने वाले महिलाओं के अनुभव इनसे बिल्कुल ही भिन्न चित्र प्रस्तुत करते हैं। भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच का अनुपात तथा बालिकाओं की भ्रूण हत्या का संख्यात्मक विवरण ही महिलाओं की यथार्थ स्थिति की शिकायत करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य स्थल पर शोषण और सताने, घर में या घर से बाहर निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी तथा हिंसा इत्यादि क्षेत्रों में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय है और अधिकांशतः ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ अपने वैयक्तिक, पारिवारिक सार्वजनिक जीवन में अपने अस्तित्व को सम्पूर्णतया मिटाकर जीती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में प्रति २५वें मिनट में एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और प्रति ३४वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पॅरामीटर यह असहाय स्थिति उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्थानीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों की स्थिति में बदलाव लाने हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक निषेधों की वजह से परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से हो रहा है।

एक नारीवादी सूत्र है कि 'सभी समस्याएँ महिलाओं की समस्याएँ हैं'। इस सूत्र से हम यह सूत्र निकाल सकते हैं कि महिलाओं की समस्याएँ सब की समस्याएँ हैं। ये दोनों सूत्र वास्तव में भारतीय नारियों की स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु संभावित व्यूह रचना रखते हैं। आज से ५० वर्ष पूर्व महिलाएँ प्रकटतः जितनी देखने में आती थी, आज अपेक्षाकृत उससे अधिक देखने में आती हैं और उनकी आवाज उस काल में जितनी सुनी जाती थी, उसकी अपेक्षा आज अधिक सुनी जाती है। महिला समस्याओं के बारे में कई बहुत मजबूत और जीवंत आंदोलन हुए हैं। सूचना का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और विकास संबंधी भारतीय आंदोलनों ने वैश्विक चर्चा हेतु मानदंड खड़े किये हैं।

पारिवारिक, सामुदायिक और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए युगों पुरानी मानसिक धारणाएँ बदलने की जितनी जरूरत है, उतनी ही आवश्यकता महिलाओं के अधिक सक्रिय संगठनों की भी है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता मिले, काम, अवसर और समानता के साथ विकास हो, स्त्रियाँ मात्र ग्राहक नहीं वरन् नागरिक हैं ऐसी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र की भावना का निर्माण हो तथा स्त्री-पुरुष समानता की समस्या सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, वरन् सम्पूर्ण समाज की तथा लोगों की समस्या है - ऐसा समझा जाएगा तो स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आ सकेगा। मंजिल बहुत दूर है, परंतु सभ्य समाज के निर्माण हेतु वहाँ पहुँचना अनिवार्य है।

# यौन शोषण
# स्त्रियों के गौरवमय अस्तित्व का अस्वीकार

प्रस्तुत लेख में नारी के यौन शोषण की समस्या तथा घरेलू हिंसा का विवेचन किया गया है। अहमदाबाद के 'विकास अध्ययन केंद्र' की **श्री सोफिया खान** ने यौन शोषण की जानकारी तथा उसकी कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में इस लेख में भारत सरकार द्वारा संसद में घरेलू हिंसा को रोकने संबंधी प्रस्तुत दस्तावेज का सविस्तार विश्लेषण किया है। 'द लॉयर्स कलेक्टिव' के अप्रैल २००२ अंक में **श्री सुमंगल** और **श्री कावेरी शर्मा** द्वारा लिखे गए लेखो में से इस संबंधी ब्यौरे एकत्रित किए गए हैं।

## प्रस्तावना

विगत कई दशकों से स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अन्याय और उनके शोषण के सवाल, महिला संस्थाओं के अतिरिक्त मानवाधिकारों के लिए चिंतितों हेतु, तथा कुछ सीमा तक सरकार के लिए भी चिंता के और इसीलिए चर्चा के विषय के रूप में अग्रणी रहे हैं। नारी-शोषण की बातें हमारे पितृसत्तात्मक समाज की एक सहज व्यवस्था के रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं। अब चर्चाएँ चल रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, फिर भी आज भी नारी का शोषण परिवार का अथवा जाति का आंतरिक मामला है, ऐसा माना जाता है, जिसमें दूसरों के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सामान्य रूप से जब स्त्रियों के शोषण की, उन पर होने वाले अत्याचारों की बात की जाती है तब उनमें ज्यादातर शारीरिक या मानसिक त्रास की बातों को लेकर ही चर्चा की जाती है। बहुत कम लोग स्त्रियों को झेलने पड़ने वाले तीसरे प्रकार के त्रास के बारे में चर्चा करते हैं। इसी त्रास को यौन त्रास अथवा यौन शोषण कह सकते हैं। इस तरह का त्रास नारी को परिवार में या परिवार से बाहर, किसी भी स्थान पर झेलना पड़ सकता है। दोषी व्यक्तियों में स्त्री के करीबी सगे संबंधी, परिजन या परिचितों के अलावा अनजान व्यक्ति अथवा कई बार कार्य-स्थल पर उसके सहकर्मी या उच्च अधिकारी भी होते हैं।

हमारे समाज में यौन शोषण की बातों पर सामान्यतया सार्वजनिक चर्चा नहीं होती, परिणामतः उनका विरोध भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। इस प्रकार के व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्त्री के मौन को उसकी कमजोरी मानकर परिस्थिति का गलत लाभ उठाता है। कई बार इस वजह से स्त्रियों को आत्महत्या तक का कदम उठाने को मजबूर कर दिया जाता है। आज की स्त्री घर की चहारदिवारी में बंद होकर नहीं रहती, रह पाना संभव नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए, कुटुंब का गुजारा चलाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो कभी नौकरी करने के लिए अथवा किसी भी वजह से उसके लिए घर से बाहर निकलना अनिवार्य हो गया है। स्त्रियों की इस सामाजिक गतिशीलता पर सीधा प्रहार करता है। इसलिए भी अब इस बारे में मुक्त रूप से चर्चाएँ होनी जरूरी हैं।

## कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण

यौन शोषण के संबंध में जब हम सजग होने की बात करते हैं, तो इस समस्या की कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से पड़ताल करनी पड़ेगी। सामाजिक दृष्टि से कई बार खुद महिला को ही अपने शोषण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है अथवा उसे ही सवाल पूछा जाता है कि उसने इस तरह के शोषण के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? ऐसे प्रश्न पूछने की अपेक्षा परिस्थिति को मूल से ही समझना जरूरी है। सतही तौर पर सामान्यतया जिस तरह मढ़ा जाता है वैसे ही स्त्री पर दोष मढ़ने से, वह प्रसंग या घटना शायद दब जाये, परंतु सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा।

यह समझ विकसित करने के लिए हमें अपनी पितृ सत्तात्मक रुझानों पर आधारित समाज व्यवस्था की तरफ दृष्टिपात करना पड़ेगा, जहाँ बेटी का लालन-पालन मात्र त्याग, बलिदान, सहनशीलता और आज्ञाकारिता के पाठ पढ़ा कर ही किया जाता है। इन गुणों का आग्रह जब ऐसा रखा जाता है कि ये सिर्फ बेटी और स्त्रियों में ही विकसित हों, और यदि ये बेटे में तथा पुरुषों में विकसित हो जाएं तो निंदा के पात्र समझे जाते हैं - तब इनकी योग्यता विचारणीय हो जाती है। नैतिकता के दोहरे मानदंड सिखाये जाते हैं: स्त्री के लिए एक प्रकार के तो पुरुष के लिए दूसरे प्रकार के । स्त्री के चरित्र को

परिवार की इज्जत या मान-मर्यादा के साथ जोड़कर उसके पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुरूप अर्थ निकाले जाते हैं। राजस्थान में स्त्रियों के प्रजनन अंग पर लोहे का कवच पहना कर ताला मारने की प्रथा थी। इसे लसुआ प्रकरण के रूप में जाना जाता है। यह अतीत की बात हो चुकी है। शायद इस प्रकार के विचार के कारण ही जब किसी जाति या परिवार के विरुद्ध रोष प्रकट करना हो या बदला लेना हो तो उस कुटुंब या जाति की स्त्रियों के विरुद्ध व्यक्तिगत या सामूहिक बलात्कार के किस्से होते देखने में आते हैं।

बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो या कुछ अन्य तरीके से स्त्री पर किये जाने वाले जुल्म हों, समाज हमेशा स्त्री का ही दोष निकालने में तत्पर रहता है। ऐसे में ऐसे किस्से भी देखे गए हैं जहाँ ६ वर्ष की बालिका पर या ५५ वर्ष की प्रौढ़ महिला के साथ बलात्कार किया गया है। तब तो पुरुष ही उत्तरदायी रहेगा न? लेकिन नहीं, पुरुष को किस तरह दोषी ठहराया जा सकता है? ऐसे समय यों कह कर बात समाप्त कर दी जाती है कि वह तो मानसिक विकृति से ग्रसित पुरुष है। इसी तरह के कारणों से उन पुरुषों के पक्ष में मत व्यक्त किया जाता है, जो अपनी बेटी या भतीजी के साथ बलात्कार करते हैं। इस विषय में कार्यरत संस्थाओं का अध्ययन बताता है कि ऐसे पुरुषों को मानसिक विकृति से पीड़ित कह कर उन्हें जिम्मेदार न ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि यह गलत है।

महिला का लालन-पालन उसे परिवार की इज्जत, समाज की निंदा, कभी जाति से बाहर निकाल देने की धमकी, भविष्य के समाजिक संबंध, आर्थिक निर्भरता आदि के बारे में विचार करने को प्रेरित करता है और इसीलिए इन सामाजिक कारणों से अपने साथ हुए यौन शोषण के विरुद्ध वह मौन रहना पसंद करती है।

यह तो सामाजिक दृष्टि से बात हुई। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कानून यौन शोषण के विरुद्ध हमारी रक्षा करने के लिए क्या करता है। वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएँ यौन शोषण को अत्यंत सीमित परिप्रेक्ष्य में देखती हैं।

## कानूनी व्यवस्थाएँ

भारतीय दंड संहिता याने इंडियन पिनल कोड में यौन अपराध के प्रकरण में जिन दो अपराधों का उल्लेख किया गया है उनमें से एक है बलात्कार का अपराध और दूसरा है अप्राकृतिक मैथुन संबंधी अपराध। इसके अलावा दो अन्य स्थलों पर ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिन्हें महत्वहीन कहा जा सकता है।

### न्यायमूर्तियों का विचित्र अभिप्राय

महिलाओं की समस्याओं पर काम करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था 'साक्षी' ने 'जेंडर एंड जजेज' नामक एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। उसमें बताया गया है कि देश भर के १०९ न्यायमूर्तियों का एक सर्वेक्षण किया गया। उनमें से ४९ प्रतिशत न्यायमूर्ति मानते हैं कि विवाह के दौरान पति अपनी पत्नी को एक बार थप्पड़ मारे तो उसे क्रूरता नहीं कहा जाएगा। ४६ प्रतिशत न्यायमूर्ति ऐसा मानते थे कि कभी किसी मौके पर पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारे तो यह वाजिबी घटना है। कई मामले ऐसे हैं जिनमें न्यायमूर्ति मामूली मारपीट को महत्वपूर्ण नहीं मानते।

**धारा ३५४:** किसी स्त्री की आबरू लेने के इरादे से उस पर हमला करना अथवा आपराधिक बल प्रयोग के बारे में है। यह अपराध ऐसा है कि इसमें जमानत हो सकती है और दो वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।

**धारा ५०९:** किसी स्त्री की लाज लेने के इरादे से उच्चारित शब्द अथवा कृत्य। एक वर्ष तक की कैद की सजा (लाज/आबरू जैसे शब्द अलबत्ता अधिक चर्चा की अपेक्षा करते हैं)।

**धारा ३७५:** यौन अपराध संबंधी: बलात्कार।

इसमें निम्नलिखित अपवाद को छोड़कर कोई पुरुष नीचे दर्शाई गई छह प्रकार की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है।

**प्रथम:** उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

**दूसरी:** उस स्त्री की सहमति के बिना।

**तीसरी:** उस स्त्री को अथवा उसका जिस व्यक्ति में हित हो उस व्यक्ति को मृत्यु भय अथवा दुःखी करने का भय बताकर, उसकी सहमति प्राप्त की गई हो, तो उसकी सहमति से।

## धारणाएँ और हकीकत

**धारणा**

यौन त्रास शायद ही होता है।

**हकीकत**

यौन त्रास अत्यंत व्यापक है। ४० से ६० प्रतिशत कार्यशील स्त्रियां इसकी शिकार होती हैं।

**धारणा**

स्त्रियों को यौन त्रास या छेड़छाड़ पसंद है।

**हकीकत**

स्त्री के लिए यह अपमानजनक, दर्दनाक और भयंकर अनुभव है।

**धारणा**

अधिकांश यौन त्रास बहुत छोटा-महत्वहीन होता है, छेड़छाड़ नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होती। जो महिलाएँ एतराज करती हैं उन्हें मनोविनोद का पता नहीं होता।

**हकीकत**

यौन त्रास स्त्रियों हेतु आक्रामक, खौफनाक और अपमानजनक होता है।

**धारणा**

स्त्रियां जो कपड़े पहनती है और जिस तरह व्यवहार करती हैं, उससे वे स्वयं छेड़छाड़ करने वाले को प्रेरित करती हैं।

**हकीकत**

छेड़छाड़ करने वाले पर से दोष की टोपी स्त्री पर डालने का यह अच्छा तरीका है। स्त्रियों को किसी भी प्रकार के त्रास के बगैर काम करने, कपड़े पहनने और मुक्त भाव से घूमने-फिरने का अधिकार है।

**धारणा**

स्त्री जब इनकार करे तो उसे इकरार समझना।

**हकीकत**

यौन आक्रमण के लिए पुरुष ही यह बहाना बनाते हैं।

**चौथी:** जब पुरुष जानता हो कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, और वह स्त्री मानती है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी वह साथ विधिवत ब्याहता है अथवा स्वयं को जो परिणीत मानती है और इसलिए अपनी सहमति दी है, तब उसकी सहमति से।

**पांचवीं:** सहमति देते समय अस्थिर मस्तिष्क के कारण अथवा मादक द्रव्य लेने के कारण अथवा पुरुष स्वयं या दूसरे व्यक्ति के मार्फत मादक द्रव्य दिये जाने के कारण, उसने जो सहमति दी दो, उसका प्रकार व परिणाम समझ सके, ऐसी हालत में न हो, तो उसकी सहमति से।

**छठी:** जब वह स्त्री सोलह वर्ष से कम हो तो उसकी सहमति से या सहमति के बिना।

स्पष्टीकरण: दस्तावेज की व्यवस्थाओं के अनुसार बलात्कार का अपराध मानने हेतु प्रवेश होना ही पर्याप्त है।

अपवाद: कोई पुरुष पंद्रह वर्ष से कम आयु का न हो वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करे तो वह बलात्कार नहीं है।

यौन शोषण को अपराध के रूप में पहचान कराने वाली इन कानूनी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कानून बलात्कार की घटना को छोड़कर स्त्रियों के यौन शोषण को गंभीरता से नहीं लेता। सामान्य छेड़छाड़ तथा बलात्कार के बीच ऐसी घटनायें घटती हैं, जिन्हें कानून उतनी गंभीरता से चुनौती नहीं देता। यथा - महिला की नग्न परेड़ कराना, उसके यौन अंगों के साथ क्रूरता का आचरण करना इत्यादि। ऐसी घटनाओं को सामान्य छेड़छाड़ या स्त्री के शील का अपमान मात्र नहीं गिना जा सकता। स्त्री के व्यक्तित्व का अपमान करने वाली तथा उसके अस्तित्व को जोखिम में डालने वाली घटनाओं को रोकने में फौजदारी कानून कुछ हद तक असमर्थ है। पति के द्वारा पत्नी पर किये जाने वाले यौन त्रास की तो कानून खबर ही नहीं लेता। अनेक स्त्रियां अपने पति द्वारा किये जाने वाले रोजाना बलात्कार को मौन रहकर सहती हैं, हालांकि कानून उसको बलात्कार नहीं मानता। वह तो वैवाहिक जीवन भोगने के लिए पति को प्राप्त सहज अधिकार है जिसमें पत्नी की मर्जी को कोई स्थान नहीं।

विवाह के लिए कानून के अनुसार लड़की की उम्र १८ वर्ष है। इस उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित किया जाए तो कानून उसे बलात्कार नहीं मानता। कई विकसित देशों में पत्नी पर बलात्कार के विचार को कानून में अब स्थान मिला है। उसके अनुसार पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा किये जाने वाले शारीरिक संबंध को

बलात्कार माना जाता है। भारत में वर्षों से इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था की मांग की जा रही है।

यौन शोषण रोकने के लिए वर्तमान कानूनी व्यवस्थाएँ अपर्याप्त और हल्की हैं।

भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की जो व्याख्या दी गई है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर पता लगेगा कि बलात्कार के अपराध का स्त्री के व्यक्तित्व अथवा गौरव पर आक्रमण के रूप में नहीं वरन् पितृत्व, बालक की औरसता, अनौरसता अथवा वारिसाधिकारों के साथ ही संबंध है।

कुछ समय पहले बलात्कार के अपराध के लिए फांसी की सजा देने की बात चर्चा में आई थी, जिसका देश भर की अधिकांश महिला-संस्थाओं ने विरोध किया था। हम सब जानते हैं कि जितनी ज्यादा सख्त सजा की व्यवस्था होती है, हकीकत में आरोपी को उतनी ही कम सजा मिलने की संभावना रहती है। मानवाधिकार और सुधारवादी आंदोलन आरोपी के अधिकारों के लिए चिंतित हों, यह स्वाभाविक है। परंतु दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि बलात्कार के अपराध के लिए फांसी की सजा की वकालत करने वाले स्त्री की अपमृत्यु दहेज मृत्यु (या जहाँ स्त्री के जीवन का अंत होता है) जैसे मामलों में फांसी की सजा के बारे में विचार क्यों नहीं करते। प्रत्यक्षतया स्त्री को न्याय दिलाने हेतु ऐसी तथाकथित व्यवस्थाओं को सूक्ष्म तरीके से देखने पर ज्ञात होता है कि वे पितृसत्तात्मक समाज की प्रथाओं को ही अधिक मजबूत करती हैं। अलबत्ता बलात्कार की व्याख्या का विस्तार करना तो जरूरी है ही। कानून का अमल करने वाले और दोनों पक्षों में संवेदनशीलता और जागृति भी आवश्यक है।

## कार्यस्थल पर यौन शोषण

इस स्तर पर कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की बात का उल्लेख होना ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा वि. स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में १३ अगस्त, १९९७ को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और उसके अनुसार यौन शोषण को व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने क्रांतिकारी फैसले में यौन शोषण की बात को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत मानवाधिकारों का हनन माना है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यौन शोषण में निम्न बातें आती हैं जो स्पष्ट तरीके से कहने में या करने में आती हैं:

(१) शारीरिक सम्पर्क या उसका प्रयत्न, यथा - जानबूझकर हाथ छूना या खींचना।

(२) यौन संबंध के लिए दबाव डालना या कहना। जैसे कोई अधिकारी कहे कि आज शाम घर आ जाना, वहीं तुम्हारी पदोन्नति की बात कर लेंगे।

(३) अश्लील ढंग से कुछ कहना, यथा किसी के कपड़ों या बोलने-चलने के ढंग पर व्यंग्य करना।

(४) अश्लील चित्र बताना।

(५) अन्य अशोभनीय शारीरिक, भौतिक या अमौखिक व्यवहार करना। यथा अश्लील इशारे करना।

ऊपर लिखे गये कारणों के अलावा स्त्री की आर्थिक निर्भरता, कानून का अज्ञान, पुलिस व कोर्ट का भय इत्यादि कई कारणों से स्त्रियां यौन शोषण के बारे में शिकायत करना टाल देती हैं। कानून जिसको अपराध मानकर जिसकी खबर लेता है, ऐसे अपराध हमारे यहां घटित होने वाली तमाम घटनाओं में से कुछेक का प्रतिबिंब मात्र है। वस्तुतः सच्चे आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इन दर्ज अपराधों में से कितने मामलों में आरोप पत्र दिया जाए और कितनों को शंका से परे सिद्ध करके दोषी ठहराया जाए, यह एक बड़ा प्रश्न है। इन अपराधों के अलावा कानून जिस यौन त्रास की खबर नहीं लेता उस त्रास में कितनी बहनें जी रही होंगी, इसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं।

## राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जुलाई-१९९८ में एक सर्वेक्षण हाथ में लिया था। उसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र की १२०० महिलाओं को शामिल किया गया था। उनमें से ५० प्रतिशत को उनके प्रति भेदभाव रखे जाने का अथवा मानसिक तथा शारीरिक त्रास दिए जाने का अनुभव हुआ था। इसके बावजूद ८५ प्रतिशत को तो सर्वोच्च अदालत फैसले के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। मात्र ११ प्रतिशत को ही पता था कि यौन त्रास के मामले में वे कानूनी उपाय प्रयोग कर सकती हैं, क्योंकि यौन त्रास दंडनीय अपराध है।

## घरेलू हिंसा विषयक घोषणा पत्र

| प्रस्तावित घोषणा पत्र की व्यवस्थाएँ | परिवर्तन का कारण | सुझाव |
|---|---|---|
| **घरेलू हिंसा की व्याख्या**<br>इस घोषणा पत्र में घरेलू हिंसा विषयक जो व्याख्या दी गई है, वह धारा ४ के अनुसार निम्न बातों को समाविष्ट करती है:<br>(१) बार-बार होने वाले हमलों अथवा क्रूरतापूर्ण व्यवहार से व्यक्ति का जीवन दुःखमय बन जाए।<br>(२) व्यक्ति को अनैतिक जीवन जीने की जरूरत पड़े।<br>(३) शारीरिक दुर्व्यहार न समझा जाए, ऐसा व्यवहार।<br>(४) व्यक्ति को अन्य तरीकों से चोट पहुँचे। | यह व्याख्या स्त्रियों पर की जाने वाली हिंसा के विविध पहलुओं को प्रस्तुत नहीं करती। दुःखमय स्थिति या बारंबार हमले की व्याख्याएँ दुनिया में उपयोग में नहीं ली जाती या स्वीकार नहीं की जाती। शेष उप-धाराओं में घरेलू हिंसा के अनसोचे कृत्यों को समेटा गया है। वे ऊपर जैसे ही हैं। घरेलू हिंसा की व्याख्या करने का काम अदालतों का नहीं अन्य तरीके से होती चोट शब्दों में सभी प्रकार की हिंसा का समावेश हो जाता हैं, ऐसा कहना पर्याप्त नहीं। यह व्याख्या नहीं है, लेकिन व्याख्या में जिसका समावेश नहीं हुआ, ऐसी हिंसा को समा लेने का इरादा इसमें व्यक्त होता है। अतः व्याख्या तो होनी ही चाहिए। कानून निर्माता का काम है कि वह घरेलू हिंसा की स्पष्ट व्याख्या करे। भारत सरकार के घोषणा पत्र में व्याख्या नहीं है, परंतु सिर्फ उपवाक्य ही है, अतः न्यायाधीश क्या मानता है, उसी पर सारा आधारित रहता है, अतः वादी को राहत देने से मना किया जा सकता है। | घरेलू हिंसा की व्याख्या नीचे लिखे मुताबिक की जानी चाहिए।<br>(१) ऐसा कोई भी कृत्य या व्यवहार या जिससे चोट पहुँचे।<br>(२) व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे या उसकी सुरक्षा को हानि पहुँचे।<br>(३) शारीरिक शोषण, यौन, शाब्दिक और मानसिक अत्याचार, आर्थिक शोषण।<br>यह व्याख्या घरेलू हिंसा के विविध स्वरूपों को व्याख्यायित करती है। घरेलू हिंसा के बारे में 'संयुक्त राष्ट्र' ने कानून का जो नमूना तैयार किया है, उस पर यह व्याख्या आधारित है। वह हिंसा के बारे में स्त्रियों के अनुभव पर आधारित है। घरेलू हिंसा के बारे में यह व्याख्या सार्वत्रिक स्तर पर स्वीकार की गई व्याख्या है। |
| **स्वबचाव**<br>यह घोषणा पत्र घरेलू हिंसा की व्याख्या में से ऐसे व्यवहार को रद्द कर देता है, जो अपने स्वरक्षण हेतु या अपनी या दूसरों की सम्पत्ति की रक्षा हेतु उचित हो। | यह उपधारा यह सूचित करती प्रतीत होती है कि स्व बचाव की प्रार्थना पुरुष ही कर सकता है, जबकि वह घरेलू हिंसा का मुकाबला कर रहा हो। यह तो मुख्य व्यवस्थाओं को ही बेकार कर देने वाली साजिश है। इसका कारण यह है कि पुरुष हमेशा यों कह सकता है कि वह मारपीट रोकने का प्रयत्न कर रहा था उसके और उसकी पत्नी के बीच या उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच मारपीट चल रही थी और उसी कोशिश के दौरान स्त्री को चोट लग गई। यदि स्त्री को सचमुच हिंसा के विरुद्ध रक्षा करनी हो तो इस व्यवस्था को रद्द किया जाना चाहिए। | इसके लिए धारा ४(२) को छोड़ना पड़ता है। |
| **संयुक्त घर में रहने का अधिकार**<br>भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित घोषणा पत्र में संयुक्त घर में रहने का अधिकार स्त्री को नहीं दिया गया। | घरेलू हिंसा से संबंधित किसी भी कानून का उद्देश्य घर के भीतर प्रगाढ़ संबंध रखने वाले लोगों के बीच की हिंसा को रोकना है। घर स्त्री का, ससुराल पक्ष का या उसके पति का हो सकता है अथवा किराये का हो सकता है। यही घर बहुत-सी स्त्रियों के लिए उन पर हिंसा करने का स्थल बन सकता है। हिंसा करने वाले जानते हैं कि प्रभावित होने वाली स्त्री निर्बल है। अतः वे उसे घर से बाहर धकेल देते हैं। अथवा उसका जीवन इतना दुखद बना देते हैं कि उसके पास वह घर छोड़ने के सिवाय कोई अन्य विकल्प ही नहीं रहता। अतः यह जरूरी हैं कि स्त्री को संयुक्त घर में रहने का अधिकार हो। | अतः कानून में संयुक्त घर में रहने का स्त्री का अधिकार होना ही चाहिए। कानूनी व्यवस्थाओं के सिवाय उसे घर से बाहर निकाला न जाए, यह आवश्यक है अथवा परिवार से बाहर न किया जाए यह जरूरी है। यदि स्त्री को घर से बाहर निकाला जाता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। यदि स्त्री को घर से बाहर निकाला जाए या उससे घर खाली करवाया जाता है तो उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। |

## घरेलू हिंसा विषयक घोषणा पत्र

| प्रस्तावित घोषणा पत्र की व्यवस्थाएँ | परिवर्तन का कारण | सुझाव |
|---|---|---|
| **रक्षा के लिए व्यवस्थाएँ**<br>इस घोषणा पत्र में घरेलू हिंसा के साथ रक्षा के संदर्भ में जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, वे निम्न प्रकार हैं:<br>१. कोई भी हिंसक कृत्य करते रोकने का आदेश न्यायमूर्ति दे सकते हैं।<br>२. आर्थिक राहत प्रदान करने का आदेश भी न्यायमूर्ति दे सकते हैं।<br>३. अन्य जरूरी आदेश भी न्यायमूर्ति ही दे सकते हैं। | घरेलू हिंसा से संबंधित कानून अनिवार्यता की आपात स्थिति से संबंधित स्वरूप के कानून जैसा है। उसका उद्देश्य हिंसा से तत्काल राहत देना है। जो जरूरी होगा, वे आदेश करा लिये जाएंगे, ऐसा कहना पर्याप्त नहीं। अधिकांश घरेलू हिंसा के मामलों में स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, यह जानी-मानी बात है। अतः अदालतों को स्त्री की रक्षा करने वाले आदेश देने की सत्ता होनी चाहिए। फिर इस घोषणा पत्र में अन्य बातों के विकल्प में राहत देने की व्यवस्था है, अन्य रक्षाणात्मक आदेशों के साथ राहत देने वाला आदेश नहीं दिया जा सकता। स्त्रियों का अनुभव बताता है कि उनको अनेक प्रकार की राहतों की एक साथ जरूरत पड़ती है, ताकि वे हिंसक परिस्थिति का सामना कर सकें। | इस संदर्भ में निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। घोषणा पत्र में इनका समावेश होना चाहिए:<br>(१) आरोपी व्यक्ति को कृत्य करने से रोकने का आदेश दिया जाये।<br>(२) प्रभावित व्यक्ति जहाँ बार-बार जाता है वहाँ या उसके नौकरी के स्थान पर आरोपी का प्रवेश रोकने के आदेश दिये जाएँ।<br>(३) प्रभावित व्यक्ति के साथ आरोपी को सम्पर्क करने से रोकने के आदेश दिये जाएँ।<br>(४) आरोपी और प्रभावित व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप में या संयुक्त रूप में जायदाद हों, या काम में लेते हों, तो उससे प्रभावित व्यक्ति को हटाने के विरुद्ध आदेश दिये जाएँ।<br>(५) प्रभावित के आश्रितों, अन्य सगों या व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के आदेश दिया जाएँ।<br>(६) आरोपी को प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक राहत चुकाने का आदेश दिया जा सकता है।<br>(७) प्रभावित स्त्री संयुक्त घर में ही रहे, ऐसा आदेश भी अदालत दे सकती है।<br>(८) किसी भी बालक की काम चलाऊ कस्टडी हेतु भी अदालत आदेश दे सकती हैं।<br>(९) चोट या नुकसान पहुँचाने के बदले में आरोपी प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा दे, अदालत ऐसा आदेश दे सकती है। |
| **सलाह**<br>घोषणा पत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अदालत आरोपी को और प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से या संयुक्त रीति से सलाह (कांउसेल) देने वाले के पास जाने और सलाह लेने का आदेश दे सकती हैं। | वास्तव में यह व्यवस्था सलाह विषयक तमाम स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रभावित होने वाला और हिंसा करने वाला व्यक्ति असमान स्थिति में होते है अतः संयुक्त सलाह संभव ही नहीं। स्त्री के लिए सलाह स्वैच्छिक ही हो सकती है और होनी चाहिए। यह अनिवार्यता सजा है और उसे हिंसा से प्रभावित व्यक्ति पर लादा नहीं जा सकता। | हिंसा का आचरण करने वाले के लिए ही अनिवार्य सलाह की व्यवस्था घोषणा पत्र की धारा-११ में होनी चाहिए। |

इस सर्वेक्षण में संगठित क्षेत्र की बजाय असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ अधिक लाचार प्रतीत हुई थीं। यौन त्रास के अलावा ३२ प्रतिशत स्त्रियों को वेतन, छुट्टी, पदोन्नति, काम के घंटों, काम के आवंटन आदि में भेदभाव रखे जाने का अनुभव हुआ था।

सरकारी नौकरियों में कार्यरत महिलाओं पर किया गया एक अध्ययन दर्शाता है कि वे अधिकारी बन जाती हैं तो भी यौन त्रास से उन्हें संरक्षण नहीं मिल पाता। २० प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारियों ने बताया था कि वे अपनी सेवा के किसी स्तर पर त्रास की शिकार हुई थीं। अपने उच्च अधिकारी के यौन त्रास का जिन स्त्रियों ने प्रतिकार किया है, उनको अनेक प्रकार से दंडित किया जाता है: उनके गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी लिखी जाती है, अनिच्छित स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, अथवा उनके बारे में अफवाहें फैला दी जाती हैं। ऐसे त्रास के मामलों को महिला अधिकारी भी बाहर नहीं लातीं। उन्हें डर रहता है कि उनसे वरिष्ठ पुरुष को कुछ कहेंगे वही माना जाएगा अथवा उन्हें डर होता है कि उनकी शिकायत हास्यास्पद मानी जाएगी अथवा तुच्छ समझी जाएगी। अधिकांशतः ऐसे मामलों में यही माना जाता है कि अपराध स्त्री का ही होगा।

## दृष्टिकोण बदलने की जरूरत

हम मानते हैं कि कानून अपराध को रोकने का एक मात्र साधन नहीं, परंतु एक साधन जरूर है। प्रभावी एवं पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के साथ लोगों में कानूनी एवं सामाजिक जागृति फैलानी जरूरी है। यौन शोषण की बातों को सार्वजनिक स्तर पर करने की हमारी नफरत और हमारे संकोच को अब त्यागना पड़ेगा। अधिकांशतः सभी स्त्रियों को जीवन में कभी न कभी तो यौन त्रास के पीड़ादायी अनुभव से गुजरना ही पड़ा होता है। परंतु मौन के तथाकथित संस्कार के कारण वे इन बातों की चर्चा करते संकोच महसूस करती हैं। सामूहिक स्तर पर ऐसी बातों की चर्चा करने से एक-दूसरे को नैतिक बल मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे त्रास के विरुद्ध संघर्ष करने की ताकत भी उत्पन्न होती है। समाज के कई स्थापित नियमों पर पुनर्विचार करने की भी जरूरत है।

जो व्यक्ति गलत काम करता है, उसे अपमानित होने का भाव भी महसूस कराना चाहिए। अन्यथा हमारे यहाँ अन्याय करने वाला हमेशा सिर उठा कर और सहने वाला सिर झुका कर चलेगा। अतएव निम्न मुद्दों को ध्यान में रखना जरूरी हैं।

- घूंघट, आबरू, इज्जत का बोझ सिर्फ स्त्रियों के जीवन पर ही न डालें।
- बलात्कार की घटना के लिए कानूनी संघर्ष द्वारा भलीभांति लड़ें, परंतु सामाजिक रूप से उसे स्त्री के चरित्र के साथ या परिवार की मान मर्यादा के साथ न जोड़ें, स्त्री के शरीर के साथ हुई एक दुर्घटना मात्र गिनें।
- बालिका का लालन पालन सहनशीलता की मूर्ति के रूप में नहीं वरन् अन्याय का विरोध करने वाले दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति के रूप में करें ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े।
- यौन शोषण के सवाल को लेकर चिंता करने की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की ही न बनाएं वरन् ऐसा प्रयत्न करें कि वह सम्पूर्ण समाज की चिंता का सवाल बने।

स्त्री को हमेशा एक शरीर के रूप में ही देखने का आदी यह तो स्वीकार करने से रहा कि स्त्री के पास देह के अतिरिक्त बुद्धि और हृदय भी है, उसके पास तर्क करने का कौशल है। अपने में इन गुणों का विकास करने का अवसर उसे मिलना ही चाहिए। यौन शोषण करने वाले को समाज में सामने लाए, जरूरत पड़ने पर नारी संस्थाओं व अन्य से मदद व मार्गदर्शन प्राप्त करें लगभग सभी बड़े शहरों और तहसीलों में ऐसी संस्थाएँ कार्यरत है, जहाँ केस का विवरण पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है।

## घरेलू हिंसा संबंधी घोषणा पत्र

संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस - यू.एन.) की महा सभा ने दिसंबर १९९३ में महिलाओं संबंधी हिंसा के निवारण हेतु एक घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। उसके दस वर्ष बाद २००२ के आरंभ में भारतीय संसद में घरेलू हिंसा के समक्ष रक्षा घोषणा पत्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह सही दिशा में एक कदम है और बलात्कार, अपमान, हत्या, अपहरण, भ्रूण हत्या और दहेज की वजह से मृत्यु जैसे अत्याचार की शिकार बनने वाली स्त्रियों की रक्षा करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। स्त्री के विरुद्ध अपराध दुहरे घातक हैं। स्त्रियों के विरुद्ध अपराध घर के बाहर ही होते हों,

ऐसा नहीं है। तथाकथित सुरक्षित और प्रेमिल घर के भीतर भी ऐसे अपराध होते हैं। 'राष्ट्रीय अपराध अभिलेख केंद्र' (नेशनल क्राइम रेकार्डस् ब्यूरो - एन.सी.आर.बी.) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में १९९९ में पत्नी के प्रति क्रूरता के ४३, ४२३ अपराध दर्ज हैं तथा ६,६९९ दहेज मृत्यु दर्ज हैं। जो १,४२,५७५ केस चले, उनमें से १४,५५६ मामलों में आरोपी निर्दोष छूट गए, जबकि मात्र ३,४१६ मामलों में ही आरोपियों को सजा हो पाई। बाकी के केस अभी चल रहे हैं।

ये आंकड़े हिमखंडों की तो सिर्फ चोटी दर्शाते हैं। ये अधिक व्यापक हैं। अनेक केस तो सामने ही नहीं आते। यदि केस सामने भी आते है तो वे दर्ज नहीं होते। और यदि केस दर्ज होते हैं तो अदालतें उन्हें गलत दावे या अतिशयोक्ति वाले दावे बता कर हटा देती हैं अथवा पुरुष को उकसाने के बहाने दोष की टोपी स्त्री के माथे रखी जाती हैं। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि स्त्री खुद या उसके सगे - संबंधी झूठ बोलते हैं।

## राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न हैल्पलाइन

विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार के केस में अगस्त - १९९७ में सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया था, उसे सरल शब्दों में समझाते हुए, राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न हैल्पलाइन द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। यह प्रस्तुति इस प्रकार है:

### यौन उत्पीड़न क्या है?

दिशा निर्देशों में प्रदत्त व्याख्या के अनुसार - यौन उत्पीड़न में ऐसे व्यवहार का समावेश होता है जो कतई स्वागत योग्य नहीं है:

- शारीरिक सम्पर्क
- यौन-व्यवहार हेतु मांग या अनुरोध
- यौन संबंधी बातचीत
- अभद्र साहित्य का प्रदर्शन
- यौन स्वरूप के अनुरूप न हो ऐसा कोई शारीरिक, मौखिक या मौखिकताविहीन व्यवहार।

### दिशा निर्देश किस पर लागू होते हैं?

मालिक अथवा कार्यस्थल पर अन्य उत्तरदायी व्यक्ति या अन्य संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे यौन उत्पीड़न रोकें और शिकायतों के हल के लिए कार्यवाही करें। जों स्त्रियाँ नियमित रूप से वेतन लेती हैं या मानद वेतन लेती हैं या स्वैच्छिक रूप से सरकार, निजी क्षेत्र अथवा असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, उन पर ये दिशा निर्देश लागू होते हैं।

### यौन उत्पीड़न रोकने हेतु उपाय

- यौन उत्पीड़न पर सार्वजनिक प्रतिबंध लगाना और उसका प्रचार करना।
- सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के नियमों और उप-नियमों में यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध का समावेश करना।
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम - १९४६ के अनुसार निजी मालिक यौन उत्पीड़न संबंधी प्रतिबंध को अपने स्थायी आदेश में समावेश करें।
- काम, आराम, स्वास्थ्य और सफाई की समुचित स्थिति प्रदान करना ताकि कार्यस्थल पर स्त्रियों के प्रति बुरा वातावरण उत्पन्न न हो, और किसी भी स्त्री - कामगार या कर्मचारी को यह मानने के वाजिब कारण नहीं मिलने चाहिए कि उसे स्त्री होने कि वजह से ही नुकसान हो रहा हैं।

### शिकायत की कार्यवाही

- मालिकों को एक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। उसकी अध्यक्ष महिला हो और आधे से अधिक सदस्य स्त्रियाँ हों।
- इस शिकायत समिति में यौन उत्पीड़न की समस्या पर काम करने वाली किसी स्वैच्छिक संस्था का समावेश किया जाना चाहिए।
- शिकायत विषयक कार्यवाही समयबद्ध होनी चाहिए।
- शिकायत कार्यवाही को गुप्त रखा जाना चाहिए।
- शिकायत करने वालों अथवा गवाहों के लिए मुसीबत उत्पन्न न हो, अथवा उनके सामने भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए।
- समिति को शिकायतों और उनके आधार पर उठाये गये कदमों के बारे में वार्षिक विवरण तैयार करना चाहिए।

### अनुशासन भंग हेतु उपाय

- नौकरी के नियम के अंतर्गत जब अपराध दुर्व्यवहार बन जाता है तब अनुशासन भंग के कदम उठाने जाने चाहिए।

- जब ऐसा व्यवहार भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) के अनुसार अपराध बन जाए तब कर्मचारी उचित अधिकारी के समक्ष शिकायत करने का कदम उठा सकता है।
- यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाले व्यक्ति को अपनी या उत्पीड़न करने वाले की बदली कराने का विकल्प होना चाहिए।

**अन्य व्यवस्थाएँ**

- कर्मचारियों की बैठकों में, मालिकों और कर्मचारियों की बैठकों में तथा अन्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न की चर्चा होनी चाहिए।
- महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने कि लिए दिशा निर्देश बिंदु तय होने ही चाहिए।
- मालिकों को उनकी मदद करनी चाहिए जिनका बाहर के लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न हुआ हो।
- केन्द्र और राज्य सरकारें निजी मालिकों पर भी दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी कदम उठायें।
- सर्वोच्च अदालत के इन दिशा निर्दशों का पालन करना कानूनन जरूरी है।

**मालिक की जिम्मेदारियाँ**

- यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध मानें। यौन उत्पीड़न को दुर्व्यवहार मानने के लिए स्थायी आदेश में सुधार करें।
- कंपनी, कारखाने या संस्था में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की जिम्मेदारी अपनी समझें।
- कर्मचारियों या संचालकों के द्वारा यौन उत्पीड़न हो तो वह कंपनी की, कारखाने की या संस्था की जिम्मेदारी है, इसे समझ लें। ऐसा कह कर मालिक बच नहीं सकते कि उच्च अधिकारी के द्वारा होने वाले यौन उत्पीड़न का उन्हें कुछ पता नहीं।
- यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाएँ। सर्वोच्च अदालत ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के केस में दिये गए फैसले के अनुसार प्रत्येक मालिक के लिए यह अनिवार्य हैं कि यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नीति तैयार करें। नीति न बनाना अदालत का अनादर माना जाएगा। इस नीति में निम्न मुद्दों का समावेश हो:
- गैरकानूनी भेदभाव और उत्पीड़न की मुक्त कार्यस्थल के प्रति मालिक की प्रतिबद्धता।
- यौन उत्पीड़न के उदाहरणों समेत व्याख्या, और उसे अपराध मानते हुए इस पर प्रतिबंध।
- किसी महिला की अध्यक्षता में शिकायत समिति का गठन। उसमें कम से कम ५० प्रतिशत सदस्य महिलाएँ हो। वह समिति यौन उत्पीड़न के मामलों की जाँच करे। कर्मचारियों और मजदूरों के सभी वर्गो का इसमें प्रतिनिधित्व हो। सम्पर्क हेतु व्यक्तियों के नाम और फोन नंबर ऐसे स्थल पर लगायें ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके।
- शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध कार्यवाही। वह स्वैच्छिक और अनौपचारिक तरीके से प्रश्नों को हल करे। शिकायत और जाँच के दस्तावेज बराबर संभाले जाएँ।
- इस कार्यवाही में यह ध्यान रखा जाए कि औपचारिक शिकायत विधिवत दर्ज हो तब तक कर्मचारी प्रतीक्षा कर सकते हैं।
- प्रभावित होने वाली बात को गुप्त रखा जाना चाहिए।
- शिकायत करने वाले के समक्ष शिकायत का परिणाम चाहे जो आये, तब भी ऐसी स्पष्ट गारंटी दी जाएँ कि उसके खिलाफ बदला नहीं लिया जाएगा।
- जांच के बाद उत्पीड़न हेतु दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और जहाँ उचित होगा, वहाँ उसे सेवामुक्त किया जाएगा, ऐसा प्रावधान करना जरूरी है।
- यह तय किया जाए कि अपराधी को चेतावनी से लेकर सेवामुक्त करने तक की कौनसी सजाएं शिकायत समिति दे सकती है।
- नीति घोषित करें और कार्यस्थल पर कई जगहों पर उसकी प्रतियाँ उपलब्ध करायें। सभी नए कर्मचारियों के साथ उसकी चर्चा करें। यह जरूरी है कि वस्तुएँ आपूर्ति करने वाले और ग्राहक भी तुम्हारी नीति को जानें।
- सभी कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न के बारे में समय - समय पर जागृति शिविर लगाये जाएं।

**कर्मचारियों की जिम्मेदारी**

- स्वयं को दोषी न मानें। यौन उत्पीड़न आपके विरुद्ध किया गया अपराध है, अतः यह आपका दोष नहीं।
- यौन उत्पीड़न को इस आशा के साथ उपेक्षा न करें कि यह स्वयंमेव खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब स्त्रियाँ यौन उत्पीड़न की उपेक्षा करती हैं तो बहुधा उसे सहमति समझा जाता है। साफ इन्कार करें। उत्पीड़क को चुनौती दो। यदि आप यौन

शोषण की शिकार बनी हों या आप इसके साक्षी बने हों तो उत्पीड़क का सामना करो, यह महत्वपूर्ण है। उत्पीड़न को रोकने का यह सर्वाधिक असरकारक रास्ता है।

- दूसरों के साथ बातचीत करें। शायद वह आपको ही उत्पीड़ित न करता हो। उत्पीड़ित करने वाले अधिकांश लोग बार-बार उत्पीड़ित करते हैं। दूसरों को कह देने की धमकी दें अथवा सचमुच दूसरों को कह दें तो यह भी उत्पीड़न रोकने का दूसरा प्रभावशाली मार्ग है।
- यौन उत्पीड़न का ब्यौरा। एक नोटबुक लें। उसके पुठ्ठे पर ही यौन उत्पीड़न शब्द लिख लें। जब भी उत्पीड़न हो, तभी नोटबुक लें और उसमें लिख लें कि क्या हुआ था। तिथि, समय, स्थल, साक्षी और अपनी प्रतिक्रिया आदि लिखो। इन सभी ब्यौरों को कुछ माह बाद याद करना कई बार बहुत जरूरी हो जाता है। यौन उत्पीड़न विषय शोध की योजना में यह नोटबुक उपयोगी होगी। कोई भी दल इस काम को हाथ में ले सकता हैं।
- व्यवहार का वर्णन। "ये शब्द स्त्रियों के लिए अपमानजनक है", ये गैर व्यवसायी है और संभवत: यौन उत्पीड़न है। यह व्यवहार बंद होना ही चाहिए। 'कि यह तुमने तीसरी बार मेरे पर हाथ फिराया है। मुझे यह पंसद नहीं, और आप अब यह करो ऐसा मैं नहीं चाहती।'
- उत्पीड़क को पत्र लिखो। यह पद्धति यौन उत्पीड़न के मामले में तथा व्यक्तियों के बीच अन्य झगड़ों में बहुत सफल रही है। यह पत्र तीन भागों में हो। पहले जो कुछ हुआ उस का वर्णन करो, फिर आपको कैसा लगा, उसके बारे में किसी भी मूल्याकंन के बगैर लिखो। अंत में क्या होना चाहिए, वह लिखो, "मैं चाहती हूँ कि ऐसा व्यवहार तत्काल बंद होना चाहिए।" यह पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजो।
- घटना के साक्षी तैयार करें। विश्वनीय साथी को जानकारी दें और जहाँ आपको यौन उत्पीड़न होता है, वहाँ वह साक्षी रहे, यह पक्का करें। बाद में यदि आप शिकायत करेंगी तो वह उपयोगी सिद्ध होगा।
- विलंब टालें। आपने पहले किसी व्यवहार पर एतराज नहीं उठाया। इसका यह मतलब नहीं हे कि तुम बाद मे भी एतराज नहीं उठा सकते। पूर्व में तुमने जिस व्यवहार की उपेक्षा की थी, वह यौन उत्पीड़न भी हो सकता है।
- यह देखें कि मालिक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाये और उपरोक्त कदम उठाये, यह देखें।
- जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे उसे वह नीति जरूरी बातों के नीचे लकीर खींच कर भेज दो।
- यहि आप मजदूर मंडल के सदस्य हो तो अपने प्रतिनिधि के साथ बात करें अथवा अपने काम के स्थल पर यह काम जिसे सौंपा गया है, उसके साथ बात करें। परिस्थिति का सामना औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से किस तरह किया जाए, इसके बारे में इस व्यक्ति के पास ब्यौरा होना चाहिए।
- शिकायत दर्ज करायें। उपरोक्त अनौपचारिक पद्धतियों से भी यदि उत्पीड़न न रुके तो आप शिकायत दर्ज करायें। सामान्यतया वह किसी संस्था के अंदर भी की जा सकती है। यदि कोई कदम न उठाये तो उपयुक्त सरकारी संस्था में शिकायत करें अथवा देखें कि दूसरे कौनसे औपचारिक कदम उठाये जा सकते हैं।

## घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा का घर के सत्ता-संबंधों और सत्ता के दुरुपयोग साथ संबंध है। स्त्री पर अकुंश लगाने के लिए घर का ही कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है।

भारत में ऐसे अधिकांश अपराध पुरुषों के द्वारा होते हैं। वैसे हमें यह हकीकत भी स्वीकार करनी चाहिए कि स्त्रियाँ भी स्त्रियों के विरुद्ध अपराध करती हैं। जब स्त्रियों को घर में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो उनकी मौत से भी बदतर हालत होती है। अधिकांश विवाहिता भारतीय स्त्रियों को उनकी अपनी जिंदगी के बारे में भी स्वतंत्रता नहीं होती। घरेलू मामलों में अधिकांश स्त्रियों को दर-किनार कर दिया जाता है। स्त्री अपने किसी सगे या मित्र से मिलने हेतु घर से बाहर जाना चाहे तो उसे पति की या ससुरालवालों की इजाजत लेनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में ७० प्रतिशत स्त्रियों की यह हालत है तो बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा तथा आंध्रप्रदेश में ८० प्रतिशत स्त्रियों की यह हालत है। बाजार में जाने के लिए भी उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। भारत में एक स्त्री का स्थान घर की चहारदीवारी के अंदर है और इसलिए वह निजी है ओर राज्य कार्यक्षेत्र से बाहर है, ऐसा समझा जाता रहा है। इस प्रकार स्त्री को एक मोटा परदा कानून से अलग

**शेष पृष्ठ 23 पर**

# महिलाओं का उत्पीड़न और नारीवाद

महिला उत्पीड़न विषय पर लगभग रोज ही व्यापक विवरण पढ़ने व देखने को मिल जाता है। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए नारीवाद का आंदोलन एक तरह से वैचारिक भूमिका तैयार करता है। ये दोनों तरह के मंतव्य यहाँ प्रस्तुत हैं।

## महिलाओं द्वारा संगठित संघर्ष की जरूरतः
## श्री विनोदकुमार यादव

२१वीं सदी की शुरूआत में हमारे समाज में महिलाओं के शोषण और उन पर बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर महिलाओं ने आंदोलन किए, महिला संगठन बने और महिला शोषण के खिलाफ राजकीय प्रयास भी हुए। इन आंदोलनों को पर्याप्त समर्थन भी मिला परंतु सामाजिक जागृति और राजकीय प्रयास होते हुए भी महिलाओं का शोषण जारी है। आज सभी परिवारों में बंधन के कारण प्रतिभाएं कुंठित हो रही है। महिलाओं का हर जगह शोषण और अपमान हो रहा है। परंतु इसके पीछे महिलाओं की विशेष भूमिका रही है और वह चिंता का विषय है। आज यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसकी सास यही चाहती है कि जन्म लेने वाला बालक लड़का ही हो। अगर लड़की पैदा होती है तो उस महिला को ताने मारे जाते हैं।

आज समाज में ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि केवल लड़का ही सारा काम चला सकता है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार डाला जाता है। भ्रूण परीक्षण करवा कर देख लिया जाता है कि लड़की है या लड़का। विगत आंकड़े बताते हैं कि १९७८ से १९९३ के दौरान भ्रूण परीक्षण करवा कर देश में लगभग १ लाख ७८ हजार बालिकाओं को संसार में पैर रखने से पहले ही मार डाला गया था। भ्रूण हत्या का सर्वाधिक प्रभाव स्त्री-पुरुष की संख्या के अनुपात पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम मध्य प्रदेश को लें तो वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार होशंगाबाद में स्त्री-पुरुष अनुपात १०००-८९८ था। पूरे मध्य प्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात १०००-९२० है।

## महिलाओं का बेधड़क शोषण

प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ शोषण की शिकार बन रही हैं, फिर भले ही वे महिलाएँ घर की चहारदीवारी में रहती हो या बाहर। प्रत्येक स्थान पर शोषण के विरुद्ध जो आवाज उठाता है, उसका मुंह बंदकर दिया जाता है।

राजस्थान के एक गाँव में १९९२ में भंवरी देवी ने बाल विवाह के विरुद्ध विरोध का स्वर बुलंद किया था तो ऊँची जाति के लोगों ने उस पर सामूहिक बलात्कार किया और आज भी वह प्रकरण उच्च न्यायलय में विचाराधीन है। महिलाओं पर होने वाला बलात्कार घोर अपराध माना जाता है, किसी भी महिला पर बलात्कार करना और उसे जान से मार देने की धमकी देना मानो सामान्य बात हो गई है। महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित, घर में हो या बाहर, चारों तरफ यौन शोषण की शिकार बनती रहती है। रोजाना अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पिता ने पुत्री का या चाचा ने भतीजी का या दूर के भाई ने बहन का बलात्कार किया। इसका अर्थ यह है कि घर में भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं और बाहर भी नहीं। इस प्रकार महिलाओं पर होने वाले बलात्कारों की संख्या बढ़ती ही जाती है।

मध्यप्रदेश में ही १९९३ से १९९८ के मध्य प्रतिवर्ष क्रमशः बलात्कार के ३२७६, ३१११, ३७७७, २३४५ और २१८७ मामले दर्ज हुए थे। इसी भांति १९९१ से १९९३ के मध्य २५३२ और २९५८ महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएँ घटी थी। १९९९ और २००० में २६२३ और २७४९ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में रोज ७-८ महिलाएँ दुष्कृत्य की शिकार होती हैं। यदि पूरे देश के स्तर पर देखें तो १९९० से १९९५ के बीच ६६२२० बलात्कार हुए थे। गृह मंत्रालय के अपराध पंजीकरण केन्द्र के अनुसार भारत में प्रति ४७ मिनट में एक बलात्कार, प्रति ४४ मिनट में एक स्त्री अपहरण और प्रति ३६ मिनट में एक स्त्री की इज्जत से छेड़छाड़ होती है। वर्ष १९९७-९८ में क्रमशः ७२६ और

७६७ महिलाओं की हत्याएँ हुई; ३२२, ३४६ महिलाओं की हत्या का प्रयास हुआ, ८०१५ और ८८८९ महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ। महिलाओं पर होने वाले जुल्मों का एक भयानक रूप दहेज प्रथा है, जिसमें लड़की के साथ-साथ माता-पिता पर भी जुल्म होता है। ससुराल वाले दहेज के लिए इतना अधिक त्रास पहुँचाते हैं कि इसकी वजह से गले में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालना एक सामान्य घटना बन गई है। नंगी आंखों से देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकृत आंकड़ों में दहेज के जुल्म का एक विकराल रूप दिखता है। इन आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना असंख्य महिलाएं दहेज की बलि बनती हैं। प्रति दूसरे घंटे दहेज के कारण एक महिला की मृत्यु होती है। दहेज का त्रास भारत से बाहर भी पहुंच गया है।

बांग्ला देश में महिला अधिकारों के लिए गैर सरकारी संगठन महिला पक्ष' के बताये अनुसार गत वर्ष लगभग ७५० महिलाओं की दहेज के कारण हत्या हुई और २२५ से अधिक महिलाओं ने ससुराल की यातना से मुक्त होने के लिए आत्महत्या की।

## संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन

श्रम, शिक्षण, राजनीति में जहां भी महिलाएं हैं, वहां उनका शोषण होता है। महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वह संविधान की व्यवस्थाओं से उल्टा हो रहा है। कारण यह कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग या जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करने की बात संविधान में लिखी गई है, परंतु महिलाओं के बारे में संविधान के नियमों का उल्लंघन हो रहा हैं। महिलाओं की शक्ति देखकर उन पर अंकुश जब से लगाया गया है, वह आज भी जारी है, महिलाओं को अधिकार तो दिये, पर सिर्फ कहने पर के लिए। वास्तविकता कुछ और ही है। पंचायत में सभी महिलाएँ अपना काम क्या स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं? जिधर नजर डालें, उधर महिलाओं का उत्पीड़न ही दिखता है। कब रुकेगा महिला उत्पीड़न का यह सिलसिला? क्या भारत के इस पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं को कभी स्वतंत्रता-मुक्ति मिलेगी? जिस तरह से आज स्त्री-पुरुष के अधिकारों की जंग छेड़ी गई है, इसमें किसी का भी विकास संभव नहीं। पुरुष स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देगा। स्त्रियां अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही शोषण मुक्त हो सकेंगी।

भारत में महिलाएँ संगठित होकर अपने अधिकार हासिल कर लेंगी, तभी भविष्य का समय महिलाओं का होगा। स्वतंत्रता से जीवन जीने के लिए खुद महिलाओं को संघर्ष करना पड़ेगा।
(सर्वोदय प्रेस सर्विस)

## नारीवाद और अधीनता से महिलाओं की मुक्ति
### श्री गीता चावड़ा

दुनिया के सभी समाजों में स्त्री की स्थिति के लिए एक समानता देखने में आती है। भूत काल में हुए अनेक स्त्री-मुक्ति आंदोलन के कारण विगत तीन दशकों से स्त्री की दशा में सुधार दिखता है। फिर भी स्त्री की वास्तविक हालत की थाह लेने के लिए स्त्री का अपने शरीर पर नियंत्रण, स्त्रियों और बालकों में बढ़ता गरीबी का अनुपात, स्त्री के समक्ष बढ़ती हिंसा, सरकार में, कानून में तथा सत्ता के ढांचे में स्त्री की उल्लेखनीय कम संख्या इत्यादि को भी ध्यान में लेना चाहिए। यह दर्शाता है कि स्त्री के लिए अब भी परिस्थिति बहुत नहीं बदली। कई स्त्रियों को निश्चय ही जीवन में अच्छे अवसर मिलते हैं, पर अधिकांश स्त्रियां अब भी निम्नतर स्थिति में जीती हैं। कई तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। यथा-

(१) स्त्रियां दुनिया का २/३ काम करती हैं, परंतु आमदनी का १० प्रतिशत हिस्सा ही पाती हैं तथा सम्पति का १ प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त करती हैं।

(२) स्त्री सबसे गरीब है। काली और तीसरी दुनिया की स्त्रियां विश्व में सबसे अधिक गरीब हैं। यह सच्चाई है कि जितनी ज्यादा गरीबी, उतना ही ज्यादा स्त्री का शोषण, उतना ही ज्यादा स्त्री का आगे बढ़ पाना कठिन और मेहनत का काम करने के लिए उसे मजदूर बनना पड़ता है।

(३) स्त्रियों की श्रमिक के रूप में मान्यता नहीं मिलती, न उनके काम को काम के रूप में मान्यता मिली है।

(४) कृषि के क्षेत्र में अनाज उगाने में स्त्री का आधे से ज्यादा योगदान रहता है फिर भी जमीन पर उसका मालिकाना हक

नहीं है। कर्ज लेने के लिए पत्नी के पास साख नहीं होती, चयन की टेक्नोलोजी उसके पास नहीं होती।

(५) बालकों की देखरेख और लालन-पालन का सारा काम करने के बाद भी स्त्रियों के सामने अपने बालकों के छीने जाने का खतरा तो रहता ही है। यह बालक को अपना नाम भी नहीं दे सकती।

(६) पारिवारिक शांति सहेजे रखने और आर्थिक व राजकीय ढंग से अस्तित्व टिकाये रखने के लिए स्त्री को राष्ट्रीय सीमाओं से पार जाना पड़ जाता है। अपनी नापसंद जगहों पर उसे पुनः स्थापित करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।

(७) स्त्री का काम दिखाई नहीं देता। इसी भांति वह मुआवजे से विहीन है। परिणामस्वरूप किसी भी तरह के कल्याण के लाभों यथा - पेंशन या नौकरी का लाभ पाने हेतु वह पात्र नहीं रहती। उसकी दशा दयनीय रहती है।

(८) स्त्री को आहार, स्वास्थ्य-संरक्षण, बालक पैदा न करने का हक, बलात्कार, और हिंसा से संरक्षण, बाल-पोषण, व्यवसाय के अवसर, समान वेतन आदि समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि स्त्री को बुनियादी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

(९) निर्णय की प्रक्रिया में स्त्रियों की समान सहभागिता नहीं है।

## नारीवाद के विविध सिद्धांत

इस प्रकार, स्त्री की स्थिति में लगतार गिरावट में एक समानता ऐतिहासिक रूप से, भूतकाल से लेकर आज तक निरंतर देखने में आती है। उसकी मात्रा और स्वरूप में अवश्य अनोखापन है, परंतु उसका अस्तित्व निरंतर दिखता है। उसके समक्ष ऐतिहासिक रूप से दूसरी समानता भी निरंतर देखने में आती है। वह यह है कि जब से स्त्री अधीन हुई है, तब से उसका प्रतिकार व्यक्त या अव्यक्त तरीके से वैयक्तिक या सामूहिक तरीके से जरूर हुआ है। इस प्रकार, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नारीवाद का अस्तित्व शुरू से ही था। नारीवाद स्त्री की अधीनता और उसमें संभावित परिवर्तन के बारे में सोचता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। इस प्रकार एक तरफ नारीवाद स्त्री अधीनता और मुक्ति के बारे में समझाने वाले सिद्धांत देता है तो दूसरी तरफ इन सिद्धांतों को अमल में लाने हेतु राजकीय पद्धतियां विकसित करता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सभी युगों में सभी स्थानों पर चलती है। नारीवाद की उत्पत्ति से आज तक के इसके विकास को ऐतिहासिक रूप से देखें तो उसमें एक प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से उभर आती है, और वह है सबों को अपने में समाविष्ट करके अपने को अधिक विस्तृत वे समृद्ध करने की प्रवृत्ति।

विविध नारीवादी सिद्धांत महिला की अधीनता के लिए स्त्री-पुरुष के फर्क, वर्ग, यौन, धार्मिक प्रतीकों, कथा-वार्ताओं और कर्मकांडों, शरीर-रचना, सामाजिक ढांचे को उत्तरदायी मानते हुए परिवर्तन हेतु उसका अभिगम भी उसके अनुरूप प्रदान करते हैं। जैसे परंपरावादी के मत से शरीर-रचना का प्रारब्ध के साथ संबंध है, अतः उसे बदला नहीं जा सकता। इसी भांति वे स्त्री की अधीनता को शाश्वत मानते हैं। उदार मतवादी नारीवादी सामाजिक रिवाजों में, कानूनों मे, सामाजीकरण की प्रक्रिया में अधीनता के मूल देखने के कारण शिक्षण प्रदान करके उसकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करके सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। उनके मत से इसके लिए जरूरी लगे तो स्त्री हेतु विशिष्ट सुविधाएँ भी मुहैया कराई जा सकती हैं।

मार्क्सवादी नारीवादी स्त्री की अधीनता को वर्ग व्यवस्था के साथ जोड़कर उसे दूर करने के लिए पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। स्त्री के घरेलू काम और बाल-पोषण को सामुदायिक बनाते हुए व स्त्री को सार्वजनिक क्षेत्र में जुड़ने को कहते हैं। उद्दामवादी नारीवादी स्त्री का अपने शरीर पर नियंत्रण चाहते हैं। नारीवादी आध्यात्मिकता में मानने वाले नारीवादी नयी नारीवादी कथा-वार्ताएँ, प्रतीक और कर्मकांड विकसित करने को कहते हैं, ताकि उससे पितृ सत्तात्मक चेतना से ऊपर अंतरमन से चेतना अनुभव की जा सके। मनोविश्लेषणवादी नारीवादी अर्धचेतन

में स्त्री की अधीनता के मूल देखते हैं और उन्हें दूर करने के लिए बाल-पोषण की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाकर इडियस ग्रंथि को दूर करना चाहते हैं। समाजवादी नारीवादियों का प्रस्ताव आर्थिक परिवर्तन के साथ स्त्री को प्रजोत्पादकीय स्वतंत्रता प्रदान करने का है। तो अस्तित्ववादी नारीवादी स्त्री को 'स्व' बनने हेतु श्रमिक बल में जुड़ने तथा बौद्धिक बनने की सलाह देते हैं। अति-आधुनिक अभिगम विविधता की बात कहते हैं, पर कोई भी एक रणनीति देना टालते हैं। वे मुक्ति, अधीनता, नारीवाद, स्त्री-पुरुष फर्क जैसी अवधारणाओं को भी परिभाषिक करके मर्यादित करना नहीं चाहते। वे ज्ञान और भाषा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं।

## तत्व दर्शन में परिवर्तन

इस प्रकार विविध नारीवादी सिद्धांत स्त्री की अधीनता को दूर करने के लिए समाज के अलग-अलग सामाजिक, राजकीय, आर्थिक और धार्मिक ढांचों में तथा तत्व दर्शन में परिवर्तन चाहते हैं, साथ ही समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के संबंधों और व्यक्ति एवं समाज के संबंधों में परिवर्तन लाने की सलाह देते हैं। वर्तमान में किसी भी प्रकार के नारीवाद को व्याख्यायित करना कठिन हो गया है। नारीवादी विचारधारा में पीछे से जो वृद्धि हुई, उसके परिणामस्वरूप इन विविध सिद्धांतों के बीच की विभाजक रेखा पतली हो गई है। आज मार्क्सवादी स्त्री की अधीनता को वर्ग के चश्मे से न देखकर स्त्री के दमन को ही अत्यंत गंभीरता से लेते हैं। जबकि उदार मतवादी वर्ग, वंश और राष्ट्रीयता के भेद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पीछे से जो नए सिद्धांत विकसित हुए हैं वे इन सभी भेदों को तोड़ देते हैं और कोई भी चश्मा पहनकर स्त्री की अधीनता को न्यायोचित ठहराने का विरोध करते हैं। कोई भी विचार विकसित करने का विरोध, कोई भी प्रतीकात्मक व्यवस्था का विरोध, किसी भी वाद का विरोध। इस प्रकार, सभी तरह नारीवादी अभिगम देखने पर सतत ऊपर की और क्रमिक विकास होता देखने में आता है। प्रत्येक नए नारीवादी सिद्धांत ने कोई नया योगदान दिया है और इस प्रकार नारीवाद अधिक से अधिक समृद्ध होता गया है।

इन तमाम प्रयत्नों में नारीवाद की महिला अधीनता दूर करने की प्रतिबद्धता और लगन स्पष्टतया उभर कर आती है। कोई एक जड़ सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं। परंतु ऐसे अभिगम को विकसित करने की जरूरत उत्पन्न हुई है जिसमें स्त्री की अधीनता को समग्रता में देखकर ऐसे सामाजिक सापेक्ष विचार विकसित किये जायें कि जिनमें ऐतिहासिक बदलाव की क्षमता हो तथा सांस्कृतिक विविधता का मान हो। इस प्रकार आज नारीवाद जिस स्तर पर आकर खड़ा है, वहां उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और वह है विविधता में एकता उत्पन्न करना।

## महिलाओं के सामने चुनौती

दूसरी चुनौती पद्धति को लेकर खड़ी होती है। विकास संबंधी इतना सुविकसित, सुनियोजित और खर्चीला प्रशासनिक ढांचा होते हुए और विस्तृत योजनाएँ होते हुए भी क्रियान्वयन का स्तर इतना कम क्यों रहता हैं? विकास की प्रक्रिया को आंकड़ों में रखें तो १९७० से १९९० तक के विकास के झुकाव को देखने हेतु यू.एन. द्वारा प्रकाशित विवरण बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

पिछले २० वर्षों में स्त्रियों के लिए कितने ही सुधार हुए है, लेकिन अधिसंख्य महिलाएँ सत्ता, धन-सम्पत्ति, दर्जे और अवसरों में अभी भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। १९७१ से १९९० के दौरान निरक्षरता की दर घटी है, परंतु अशिक्षित स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पुरुषों में जिस गति से निरक्षरता की दर घटी है, उसके अनुपात में यह दर बहुत कम घटी है। यह दर्शाता है कि स्त्री-शिक्षण हेतु प्रयत्न काफी अपर्याप्त रहे हैं। इसके अलावा काम की दृष्टि से भी देखें तो भी यदि घर में मेहनताना चुकाये बिना किये जाने वाले काम को गणना में लिया जाए, तो पुरुषों की बजाय स्त्रियां अधिक समय काम करती हैं, फिर भी उन्हें कम मेहनताना मिलता है। इस विवरण में दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि दुनिया में हर जगह घर के काम की सारी जिम्मेदारी स्त्री की है। और दूसरे, विकासमान देशों के पुरुष विकसित देशों के पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम गृहकार्य करते हैं। वेतन चुकाये बिना होने वाले घर के काम की जिम्मेदारी के सिवाय मजदूरी के क्षेत्र में भी स्त्रियों की भागीदारी ज्यादा है, जो पिछले २० वर्षों में बढ़ती रही है। यह अनुपात एशिया में सबसे अधिक है। दूसरी और स्त्री को पुरुष की तुलना में कम

मेहनताना दिया जाता है। काम में भी स्त्री को इस तरह का काम सौंपा जाता है कि जिसमें श्रम अधिक होता है और मेहनताना कम मिलता है।

दूसरी बराबर दिखाई देने वाली बात यह है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर स्त्री की भागीदारी बहुत कम है। राजकीय स्तर पर भी स्त्री की सहभागिता कम है। विगत २० वर्षों में संसद सदस्य के रूप में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है, परंतु मंत्रिमंडल में उनका अनुपात सिर्फ ३.५ प्रतिशत ही है और उनमें भी महिलाओं को कम महत्त्व के विभाग दिये जाते हैं जैसे कि शिक्षा, समाज कल्याण इत्यादि। इसी भांति मैनेजर स्तर पर महिलाओं का परिमाण बढ़ा है परंतु प्रशासन के ऊंचे पदों पर उनकी संख्या बहुत कम है। निराशाजनक बात यह है कि १९७५ का वर्ष महिला वर्ष के रूप में मनाया जा चुका। विश्व स्तर की चार बड़ी परिषदें स्त्रियों को लेकर सम्पन्न हो गई। 'संयुक्त राष्ट्र' का महिला दशक मनाया गया, अनेक देशों में विकास की प्रक्रिया में स्त्रियों हेतु खास कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई। साधन जुटाये गए। फिर भी स्त्री-जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का उद्देश्य बहुत अधिक पूरा नहीं हो पाया।

## सफलता कैसे मिले?

अतः प्रश्न यह खड़ा होता है कि महिला मुक्ति के इतने सारे जागृत प्रयत्नों के बावजूद क्या वजह है कि बड़े बुनियादी परिवर्तन नही हुए? विकास की इतनी सारी योजनाओं के बावजूद स्त्री-जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयत्न सफल क्यों नही हुए? शिक्षा बढ़ाने के इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद स्त्री सत्ताविहीन क्यों बनती जा रही है? इस क्षेत्र में होने वाला हर प्रयत्न एक नए शोषण को जन्म क्यों देता है? आर्थिक स्वनिर्माण बढ़ाने के प्रयत्न नए आर्थिक शोषण में क्यों परिणत हो जाते हैं? स्वास्थ्य सुधारने के अनेक प्रयत्नों के बावजूद स्त्री का जन्म लेने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? स्त्री को शक्तिशाली बनाने की योजनाएँ स्त्री की जिम्मेदारियां बढ़ाकर उसे कमरतोड़ बोझे के तले क्यों दबा रही है? उच्च आदर्शों से शुरू हुई विकास की प्रत्येक योजना और कार्यक्रम दिशा-शून्य और परिणाम शून्य क्यों दिख रहे हैं? यदि ऐसा ही होगा तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा?

पितृसत्ता को शोषण के लिण मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। पितृसत्तात्मक मूल्य उतने अधिक मजबूत हैं कि पुरुष स्त्री को ही अपने नियत्रंण में नही ले रहा, वरन् समाज का रचना, समाज के कार्यों, समाज की विविध संस्थाओं, समाज की अर्थनीति, राजनीति, धर्मतंत्र, सभी को अपने शिंकजे में ले लेता है। ऐसे में उनसे स्त्री-मुक्ति कैसे संभव बने, यह एक बड़ा प्रश्न हैं। बहुत श्रेष्ठ आदर्श भी क्रियान्वयन के स्तर पर आकर कमजोर पड़ जाते हैं और वे अधिकांश मामलों में शोषण के साधन बन जाते हैं। क्या कमी है, यह विचार करने की जरूरत हैं और सचमुच कहां से, कैसे शुरूआत की जाए, बारे में भी सोचने की तात्कालिक आवश्यकता है। लगता हैं उस टूटी-छूटी कड़ी संबंधी शोध आध्यात्मिक परिमाण बढ़ाने से पूरी होगी। कारण यह कि स्त्री की आधीनता को समझने में नारीवाद सतत विस्तृत हो रहा है। नारीशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म मनोविज्ञान, तत्वदर्शन, साहित्य, ज्ञान व्यवस्था इत्यादि सभी विद्याशाखाओं की दृष्टि से स्त्री की अधीनता को समझाने की आधुनिक नारीवाद कोशिश कर रहा है। परंतु स्त्री के आतंरिक जीवन के अनुभवों अथवा जो उसके बाह्य जीवन के व्यवहार का प्रभाती तरीके से प्रभावित करता है, उसका समावेश कभी उसने नहीं किया। जिन अभिगमों में स्त्री के आंतरिक जीवन का समावेश किया है, उन्हें भी मात्र यौन-संदर्भ में ही किया है, व्यक्ति के समग्र, आंतरिक व्यक्तित्व के संदर्भ में नहीं।

इस प्रकार नारीवाद के लिए अब अधिक व्यापक बनने हेतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्त्री की आधीनता को समझना जरूरी हो गया है। ऐसी आध्यात्मिकता, जो धार्मिकता नहीं, मात्र कर्मकांड या बाह्याचार नहीं, जो स्त्री को दमनकर्ता रिवाज नहीं वरन् आध्यात्मिकता या मानव प्रकृति की गहरी समझ दे। वह मानव प्रकृति को समझाने वाला और उससे सजग करने वाला शास्त्र हैं, जो मानव प्रकृति का निम्न चेतना को रूपांतर करने वाला विज्ञान है, वह एक इच्छा से बदलती क्रियाशील शक्ति है। जब आध्यात्मिकता को इस नए संदर्भ में समझ कर उसे नारीवाद के साथ जोड़ा जाएगा, तब स्त्री कि अधीनता का अधिक गहरा विश्लेषण, स्त्री मुक्ति या अधिक गंभीर अभिगम और क्रियान्वयन के स्तर पर अधिक सफलता मिलेगी।

# ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता और महिलायें

'ऐक्शन ऐड इंडिया' द्वारा प्रेरित अखिल भारतीय अध्ययन के भाग स्वरूप राजस्थान में अस्पृश्यता के व्यवहार को लेकर अध्ययन हुआ है। विचार के अक्टूबर-दिसंबर २००१ के अंक में इस अध्ययन के निष्कर्ष से संबंधित प्रथम लेख प्रकाशित हुआ था। उन्नति के **श्री हितेन्द्र चौहान,** 'उन्नति' द्वारा तैयार किये गए इस द्वितीय लेख में इसका ब्यौरा दिया गया है कि दलित महिलाएँ अस्पृश्यता का किस तरह शिकार बन जाती हैं।

## भूमिका

उन्नति ने ग्रामीण राजस्थान में अस्पृश्यता की स्थिति के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया। 'ऐक्शन ऐड इंडिया' द्वारा हाथ में लिये गए एक राष्ट्रीय अध्ययन का यह एक भाग है। अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार है :

(१) ग्रामीण भारत के विविध भागों में अस्पृश्यता की समस्या और व्यवहार की वर्तमान स्थिति के बारे में अनुभव पर आश्रित सबूत इक्ट्ठे करना।

अध्ययन के गौण उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(१) दलितों में विद्यमान अस्वच्छ व्यवसायों संबंधी परिस्थिति का अध्ययन करना।

(२) राज्य के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में दलितों और गैर दलितों की बस्ती में भेदभाव प्रचलित है या नहीं, यह देखना।

(३) अस्पृश्यता के व्यवहार के कारण दलित स्त्रियों पर पड़ने वाले अधिक बोझ के बारे में छानबीन करना।

(४) अत्याचार विरोधी कानून के बारे में जागरूकता तथा उस बारे में शासन तंत्र की प्रतिक्रिया ज्ञात करना।

इस अध्ययन में मुख्य बात यह ध्यान में रखी गई है कि उस व्यवहार का चयन करना जो व्यवहार गांव के लोगों का रोजाना का अनुभव हो। हमने धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक व्यवस्थाओं जैसी विविध व्यवस्थाओं को स्पर्श करने का प्रयत्न किया है। अवलोकन हेतु सार्वजनिक और निजी यों दो क्षेत्र रखे गए हैं। पचास गांवों में यह अध्ययन किया गया। नीचे लिखे दो मापदंड रखे गये:

**(१) ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक - सांस्कृतिक प्रदेश :**
प्रदेश-प्रदेश में रीति-रिवाज, आर्थिक परिस्थिति और इतिहास के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार बदलता है।

**(२) दलितों की बस्ती**
प्रदेश-प्रदेश में दलितों की न्यूनाधिक बस्ती के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार बदलता है।

विचार के अक्टूबर-दिसंबर - २००१ के अंक में हमने पहले उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित किया था। इस लेख में हम मुख्य रूपे से चौथे उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। अर्थात स्त्रियों पर अस्पृश्यता के व्यवहार का बोझ कितना पड़ता है, उसकी समझ विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है।

किसी भी समाज में स्त्रियों की परिस्थिति समाज की स्थिति का सच्चा चित्र प्रस्तुत करती है। राजस्थान में पितृसत्तात्मक सामंतशाही सामाजिक ढांचा विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह राज्य सती प्रथा जैसी प्रथा के लिए कुख्यात है। जौहर प्रथा भी यहाँ प्रचलित थी। ये प्रथाएँ स्त्री के शोषण को भव्यतापूर्वक चित्रित करती थी और ये उनके आत्यंतिकता के उदाहरण हैं। बलिदान और भक्ति के लिए हमेशा पन्नाबाई और मीराबाई के उदाहरण दिये जाते हैं। उनको जो अन्याय सहन करने पड़े थे उनके लिए कभी उनके नाम नही लिये जाते। आज भी बाल विवाह और दहेज प्रथा चालू है जिसमें अंत में स्त्री को ही सहना पडता हैं। विशेष रूप से दलित स्त्रियां जाति, वर्ग और यौन संदर्भ में भेदभाव का तिगुना बोझ उठाती हैं।

## संख्यात्मक विश्लेषण

### स्त्री-पुरुष अनुपात

बस्ती का स्त्री-पुरुष की दृष्टि से विभाजन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

## तालिका संख्या - १

| क्रम | सामाजिक प्रक्रिया | भेदभाव का अनुपात | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्पष्ट भेदभाव | भेदभाव नहीं | भेदभाव है |
| | **निजी** | | | |
| १. | गैर दलित के घर में प्रवेश | ७६ | ८ | ९२ |
| २, | पूजा के स्थल में प्रवेश | ५५ | १६ | ८४ |
| ३. | सह भोजन | ८६ | ४ | ९६ |
| ४. | दलित स्त्रियों के प्रति गैर दलित पुरुषों का व्यवहार | ३४ | २६ | ६८ |
| ५. | गैर दलित स्त्रियों का दलित स्त्रियों के प्रति व्यवहार | ३४ | २६ | ६८ |
| | **औसत** | **५७** | **१७** | **८०** |
| | **सामूहिक सम्पत्ति संसाधन** | | | |
| १. | दलित द्वारा दूध केंद्र पर दूध की बिक्री | ४२ | २७ | ७१ |
| २. | दलितों द्वारा वस्तुओं की बिक्री | २८ | ६८ | २८ |
| ३. | नाई की सेवा | १८ | ७१ | २९ |
| ४. | होटल में अलग बरतन | १४ | ७९ | १९ |
| ५. | खेत में काम | १२ | ८४ | १६ |
| | **औसत** | **२३** | **६६** | **३३** |
| | **सार्वजनिक बाजार** | | | |
| १. | दूध केंद्र पर दलित द्वारा दूध की बिक्री | ६७ | १५ | ८५ |
| २. | दलितों द्वारा वस्तुओं की बिक्री | ३९ | ३२ | ६४ |
| ३. | नाई की सेवा | ३१ | ४४ | ५४ |
| ४. | होटल में अलग बरतन | ३२ | ४५ | ५२ |
| ५. | खेत का काम | ३० | ६७ | ३८ |
| | **औसत** | **४७** | **३९** | **५९** |
| | **सरकारी सेवाएँ** | | | |
| १. | शाला में सह भोजन | ५३ | २४ | ६५ |
| २. | शाला में दलित और गैर दलित शिक्षक के बीच में संबंध | २४ | ५५ | ३९ |
| ३. | शाला में दलित और गैर दलित विद्यार्थियो के बीच संबंध | २९ | ५३ | ४३ |
| ४. | पुलिस स्टेशन में प्रवेश और समान व्यवहार | २६ | ६१ | २९ |
| ५. | पुलिस स्टेशन में पेयजल की तथा बैठने की अलग व्यवस्था | २३ | ६१ | २९ |
| | **औसत** | **३१** | **५१** | **४१** |

**तालिका संख्या - २**

| | मारवाड़ | मेवाड़ | हाड़ौती | शेखावाटी | राजस्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| स्त्रियाँ | ३७.६७ | ४३.५७ | ३५.८३ | ४६.३३ | ४२.४५ |
| पुरुष | ५०.०० | ५२.८६ | ४६.६७ | ६०.३३ | ५५.०० |
| अंतर | १२.३३ | ९.२९ | १०.८३ | १४.०० | १२.५५ |

हैं, क्योंकि वह विवाह आदि के द्वारा आपूर्ति पर असर डालता है। तथाकथित पिछड़े वर्गों और समाज के निम्न स्तर में से स्त्रियों के सिवाय भारत में शायद ही स्त्रियों को भौतिक सम्पति की पैदाइश कहा जा सकता है। ऐसा विधान करने से और स्त्रियाँ माता के रूप में हम गृहणियों के रूप में जो सेवा देती हैं उन्हें ध्यान में नही लेते, यह स्पष्ट है।

राजस्थान की कुल बस्ती में २.३७ करोड़ पुरुष हैं और २.१० करोड़ स्त्रियां हैं। सन् १९५१ में यह अनुपात ९२१ था पर १९६१ में घट कर ९०८ रह गया था। बाद में फिर से एक बार वह बढ़कर १९७१ में ९११ और १९८१ में ९२९ हो गया था। सन् १९९१ में फिर एक बार घटकर ९१० हुआ। जिलों में स्त्री-पुरुष अनुपात में भारी अंतर नजर आता हैं। यह डूंगरपूर में ९९५, बांसवाड़ा में ९६९ और उदयपुर में ९६५ है। जबकि धौलपुर में ७९५, जैसलमेर में ८७७ और भरतपुर में ८३२ का अनुपात है। तहसील स्तर पर भी यह अनुपात अलग-अलग है। धौलपुर जिले में बसेरी तहसील में ७९२ का अनुपात है तो डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक १०५३ है। जीवन स्तर ऊँचा नही है अतः समग्र राजस्थान में इतना अधिक अंतर नजर आता है।

राज्य में अनुसुचित जाति में स्त्री-पुरुष अनुपात १९८१ में ९१३:१००० था। १९८१ में सामान्य अनुपात ९१३:१०० था। सामान्य बस्ती की तुलना में वह लगभग ६ के करीब कम था। विगत तीन दशकों की स्थिति की तुलना करें तो हमें दो अलग-अलग रुझान नजर आते हैं। सन् १९६१ में ९३३, १९७१ में ९१४ और १९८१ में ९१३ का अनुपात था। आदिवासियों में यह अनुपात उन्हीं वर्षों में क्रमशः ९२६, ९३० और ९४४ था। राजस्थान के २६ जिलों में से झुनझुनू और भरतपुर में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात घटा है जबकि चूरू में वह बढ़ रहा है।

**साक्षरता**

साक्षरता के रुझान सामाजिक परिवर्तन के निर्देश देते हैं। साक्षरता जितनी अधिक होगी उतनी ही व्यक्तिगत या सामूहिक तनाव का सामना करने की शक्ति अधिक होगी, फिर वह प्राकृतिक विपत्ति हो या मानव सृजित समस्या हो। भौतिक दृष्टि से अलग पड़े साक्षर व्यक्ति अलग नहीं पड़ते। वे उत्तम पुस्तकों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप सम्पूर्ण विकास नही कर सकता, अतः साक्षरता की जरूरत पड़ती है। साक्षरता के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता अतः प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए निरक्षर अन्याय के शिकार बनते हैं, और लोकतंत्र की बुनियाद डांवाडोल हो जाती है। अतः साक्षरता के प्रतिरूप का विश्लेषण किसी भी प्रदेश की सम्पूर्ण समझ प्राप्त करने के लिए जरूरी है।

उस दृष्टि से मात्र राजस्थान ही नहीं वरन् समग्र देश पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में साक्षरता की दर सभी राज्यों में सबसे कम है। यह ३८.५५ प्रतिशत है। जबकि भारत का औसत ५२.२१ प्रतिशत हैं। पुरुषों में साक्षरता ५४.७७ प्रतिशत है और स्त्रियों की साक्षरता

**तालिका संख्या - ३**

| | लधुतम | औसत | महत्तम | राजस्थान |
|---|---|---|---|---|
| स्त्रियाँ | ४७.५० | ४१.६७ | ४०.५३ | ४२.४५ |
| पुरुष | ५८.०० | ५५.५६ | ५२.८९ | ५५.०० |
| अंतर | १०.५० | १३.८९ | १२.३६ | १२.५५ |

**तालिका संख्या - ४**

| क्षेत्र | प्रतिनिधित्व का प्रकार | गैर दलित | | दलित | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | स्त्रियाँ | पुरुष | स्त्रियाँ |
| मारवाड़ | सरपंच | ४३ | १४ | ३६ | ०७ |
| | सदस्य | ५१ | २४ | १८ | ०८ |
| मेवाड़ | सरपंच | ५० | २५ | २५ | ०७ |
| | सदस्य | ४५ | २२ | २१ | १० |
| हाड़ौती | सरपंच | ६७ | १७ | ०८ | ०८ |
| | सदस्य | ४५ | २२ | १९ | १४ |
| शेखावाटी | सरपंच | ५७ | २१ | २१ | ०७ |
| | सदस्य | ४९ | २७ | १६ | ०८ |
| कुल | सरपंच | ५५ | १६ | २३ | ०४ |
| | सदस्य | ४८ | २४ | १८ | १० |

दर २०.४४ प्रतिशत है। अजमेर मे पुरुष साक्षरता दर ६८.७५ प्रतिशत है और स्त्रियों में ३४.५० प्रतिशत है। यह सम्पूर्ण राजस्थान में सबसे अधिक है। बाड़मेर जिले में सबसे कम साक्षरता दर २२.९८ प्रतिशत है। पुरुषों में यह ३८.१६ प्रतिशत हैं और स्त्रियों में ७.६८ प्रतिशत है। इस प्रकार स्त्रियों में सबसे कम साक्षरता दर बाड़मेर जिले में है। शहरीकरण, अर्थतंत्र का विकास, जीवन स्तर, शैक्षिक संस्थाओं को निम्न साक्षरता दर के लिए जिम्मेदार है।

## अस्पृश्यता और स्त्रियाँ

अध्ययन के दौरान हमने ऐसे ५० स्थान ध्यान में रखे जहाँ किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार संभव था, उनमें से २० स्थानों पर सबसे ज्यादा अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। हमने उन स्थानों का चार प्रकार से विभाजन किया। इससे संबंधित विवरण तालिका संख्या - १ में दिया गया है।

पुरुष और स्त्रियां किन बातों में भेदभाव अनुभव करते हैं, यह जानना रुचिकर हैं। निजी क्षेत्र में गैर दलित के घर में प्रवेश, मंदिर में प्रवेश अथवा सहभोजन - इन तीन बातों में स्त्रियों और पुरुषों को एक जेसा भेदभाव अनुभव करना पड़ता हैं। साथ भोजन करने के मामले में शायद पुरुषों को भेदभाव ज्यादा अनुभव करना पड़ता है। घरों में प्रवेश के संदर्भ में स्त्रियों को घरों में काम करना पड़ता हैं अतः उन्हें भेदभाव का ज्यादा अनुभव करना पड़ता है।

सार्वजनिक सम्पति संसाधन सभी के हैं। लेकिन वहाँ पेयजल की सुविधा के संदर्भ में महिलाओं को ज्यादा भेदभाव सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह हैं कि घर में पानी लाने का काम स्त्रियाँ करती हैं। राजस्थान पानी की तंगी वाला प्रदेश हैं अतः यह समस्या बहुत बड़ा है। गंगानगर जिले के एक गांव में राजपूत परिवार के हैंडंपंप से पानी लेने के लिए दलित महिलाओं को उनके घर का साफ-सफाई का काम करना पड़ता है। यह व्यवस्थित शोषण का एक उदाहरण है। अन्य बातों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को भेदभाव का अनुभव लगभग समान ही करना पड़ता है।

बजार में मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव का अनुभव करना पड़ता हैं। उनमें लगभग ३६ प्रतिशत भेदभाव देखने में आता हैं। सरकारी सुविधाओं के मामले में भी दलितों को भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं। अधिकांश भेदभाव निजी क्षेत्र में होता है। फिर दूसरे क्रम में बाजार और तीसरे क्रम में सरकारी सेवाओं में भेदभाव का व्यवहार होता है। सबसे कम भेदभाव सामूहिक सम्पति संसाधनों में देखा जाता है। ये रुझान निम्न तरीके से उचित बताये जा सकते हैं:

(१) जहाँ देखरेख सरल है वहाँ भेदभाव अधिक है। निजी स्थलो में आसानी से नजर रखी जा सकती है। सार्वजनिक सम्पति के मामले में यह मुश्किल है। सार्वजनिक बाजार में भी

**तालिका संख्या - ५**

| गाँव का प्रकार | प्रतिनिधित्व का प्रकार | गैर दलित | | दलित | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | स्त्रियाँ | पुरुष | स्त्रियाँ |
| लघुतम | सरपंच | ५८ | २५ | ८ | ८ |
| | सदस्य | ५७ | २९ | ११ | ३ |
| औसत | सरपंच | ६५ | २३ | १२ | ० |
| | सदस्य | ५४ | २३ | १३ | ९ |
| महत्तम | सरपंच | ४२ | १० | ४२ | ५ |
| | सदस्य | ४१ | २४ | २३ | १३ |
| कुल | सरपंच | ५५ | १६ | २३ | ४ |
| | सदस्य | ४८ | २४ | १८ | १० |

दुकानदार और कारीगर नजर रख सकते हैं।

(२) जहाँ दूसरे और विशेष रूप से राज्य देख सकता हो, वहाँ शारीरिक भेदभाव कम है। अपने घर में दलित को न आने को कहा जा सकता है, पर रास्ते का उपयोग न करने के लिए दलित से कह पाना मुश्किल है।

(३) पवित्रता के तथाकथित विचार की रक्षा के लिए गैर दलित आर्थिक हितों का भी बलिदान दे देते है। उसे सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले भेदभाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। यदि आंकड़ों को ध्यान से देखें तो लगता है कि दलितों को जिसमें आर्थिक लाभ अधिक होता हैं वहाँ भेदभाव ज्यादा है। जैसे - दलितों द्वारा दूध और अन्य वस्तुओं की बिक्री। होटल में गैर दलित दलितों को चाय देते हैं, पैसा लेते हैं पर उनके लिए बरतन अलग रखते हैं। यह गैर दलित की आर्थिक मौका परस्ती हैं।

(४) सामूहिक सम्पति संसधानों के बारें में राजस्थान बहुत गरीब हैं। सार्वजनिक जमीन कभी भी समस्या नहीं रही। बहुत कम गोचर भूमि है और मत्स्य पालन के लिए तालाब हैं। पानी के संदर्भ में भेदभाव अधिक है।

(५) सभी क्षेत्रों में यह देखा जा सकता है कि जहाँ सम्पर्क जरूरी है वहाँ भेदभाव ज्यादा है। पानी, शाला, बाजार, आदि के मामले में भेदभाव ज्यादा दिखता है।

(६) मंदिर हो या पेयजल सभी जगहों पर स्त्रियों और बालकों को सबसे अधिक भेदभाव सहना पड़ता है।

## आर्थिक प्रवृत्ति

गैर दलित स्त्रियों की तुलना में दलित स्त्रियाँ ज्यादा बाहर जाती हैं। इसका कारण गरीबी है और स्त्रियों को बाहर काम करने की जरूरत हैं। समाज में पुरुष जो काम करते हैं लगभग वे सभी काम वे भी करती हैं। खेती से लेकर सफाई और मैला ढोने का काम वे भी करती हैं। बाहर काम करते समय उनको कई बार सामाजिक, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है। एक गाँव में एक खास दलित जाति की ४० प्रतिशत स्त्रियों का गैर दलितों के द्वारा यौन शोषण किया गया। बहुत सी दलित स्त्रियों ने इस हकीकत को स्वीकार किया था। वे आर्थिक दृष्टि से गैर दलितों पर अवलंबित रहती हैं और काम के लिए खेत में जाना पड़ता है। ऐसे मामले में दलित स्त्रियों को ऐसे शोषण का शिकार बनना पड़ता हैं। ऐसे मामले में दलित स्त्रियां अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि दोष तो स्त्री का ही निकाला जाता है। दलित पुरुष भी गैर दलितों के सामने कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वे अपनी स्त्रियों का ही दोष निकालते हैं और अपना क्रोध भी उन्हीं पर उतारते हैं। बेगारी जैसी प्रथाओ में दलित स्त्रियों को गैर दलितों के घरों में काम करना पड़ता है। पुरुष शराब पीते हैं, इस कारण स्त्रियों को अनके समस्यों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भी स्त्रियों को बहुधा घर से बाहर काम पर जाना पड़ता है।

वेतन के मामले में लगभग सभी स्थानों पर पुरुषों और स्त्रियों के

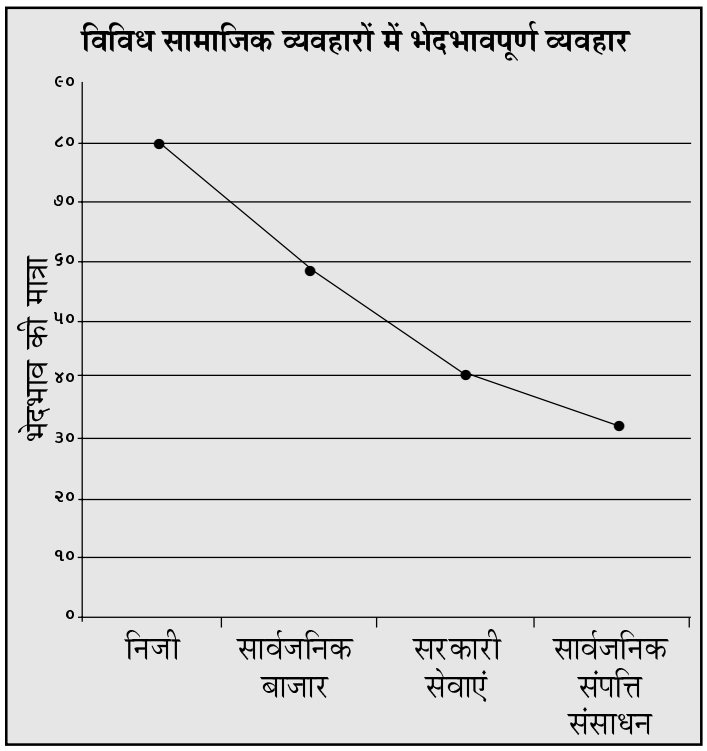


बीच भेदभाव है। हालांकि काम तो उन्हें एक समान करना पड़ता है। काम करने जाना ही पड़ता है। दलित महिलाओं और गैर दलित महिलाओं के बीच वेतन के बारे में कोई भेदभाव देखने में नही आया।

आंकड़े बहुत समान हैं और राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में यही प्रवृत्ति देखने में आती है। तुलनात्मक दृष्टि से शेखावाटी बेहतर स्थिति में है क्योंकि राजस्थान का यह क्षेत्र कुछ हद तक समृद्ध है। मजेदार बात यह है कि लघुतम बस्ती वाले गावों में औसत और महत्तम बस्ती वाले गावों की अपेक्षा वेतन अच्छा है। कम बस्ती वाले गावों में दिहाड़ी वालों की कमी होती है, इस वजह से ही यह परिस्थिति है। स्त्रियों के मामले में अतंर बड़ा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर सामान्यतया स्त्रियाँ घर से बाहर काम पर जाना टालती हैं। खेती ग्रामीण अंचलों में आय का मुख्य स्रोत है अतः स्त्रियाँ सिर्फ खेतों मे काम करती हैं।

## राजकीय भागीदारी

यहाँ हम पंचायत के बारे में बात करेंगे। ७३ वाँ संविधान संशोधन समाज के लिए निर्बल वर्गों को सबल बनाने हेतु है। उसके अनुसार ३३ प्रतिशत पद स्त्रियों के लिए पंचायत में आरक्षित रखे जाते हैं। पंचायतों में राजकीय सहभागिता का विवरण निम्नानुसार है: ये आंकड़े पंचायतों में चुने गए हुए प्रतिनिधियों के हैं। परंतु वास्तव में चित्र कुछ भिन्न है। अधिकांश मामलों में महिला प्रतिनिधि डमी हैं और वे सत्ता के परंपरागत केन्द्रों के हाथों में ही खेलती हैं। दलित स्त्रियों के मामले में परिस्थिति बहुत खराब है। नागोर जिले में हिरणी गाँव में एक दलित स्त्री मोहिनी देवी ने स्त्रियों की आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा था। उसके कार्यकाल के दौरान अनेक बार उसके सामने अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। परंतु हर बार वह जीत गई। उसके द्वारा जो भी प्रवृत्तियाँ हाथ में ली जाती, उन सब में बाधाए खड़ी की गई। अपने कार्यकाल के दौरान उसने पंचायत घर में होने वाले भेदभाव के खिलाफ कदम उठाये और वह उन भेदभावों को दूर कर सकी। ग्रामीण राजस्थान में अनेक स्थानों पर ऐसा हुआ है।

दलितों की जातियों में भी गांवों में जाति पंच होते हैं। ये पंच दलित समाज के लिए नियम - उपनियम बनाते हैं। वे न्यायतंत्र के समानांतर काम करते हैं। उन पंचों में एक भी स्त्री नहीं होती। दहेज और विधवा विवाह जैसे मसलों में भी पुरुषों के बने हुए पंच ही निर्णय लेते हैं।

## अत्याचार

इधर कुछ वर्षों में दलितों के प्रति अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। दलित पुरुषों और दलित स्त्रियों पर गैर दलित स्त्रियों द्वारा जो

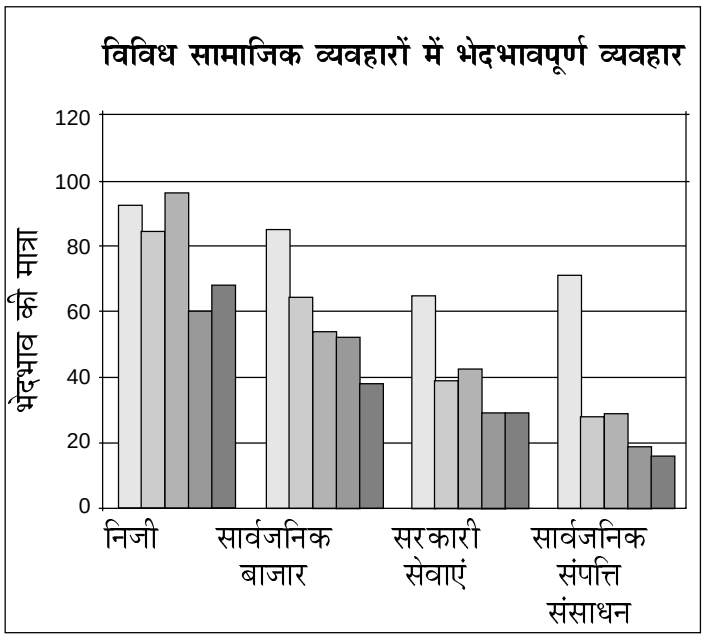

अत्याचार होता है, उसे देखें तो एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। सामान्यतया दलित पुरुषों पर अत्याचार तब होता हैं जब वे अपने अधिकार मांगते हैं। दलित स्त्रियों पर अत्याचार ज्यादातर काम के स्थल पर होते हैं। सामान्यतया दलित स्त्री की आर्थिक स्थिति के दबाव का लाभ उठाया जाता है। ऐसे एक मामले में नागोर जिले के भूनी गांव में एक दलित के साथ तब बलात्कार हुआ जब वह जानवरों को चरा रही थी। अत्यंत भय से कांपते लोगों ने दो दिनों बाद केस किया, फिर भी पुलिस ने पर्याप्त कदम नहीं उठाये। अपराधी को पकड़ा गया, पर वह जमानत पर छूट गया।

## उपसंहार

दलित स्त्रियां जाति, वर्ग और जातिगत भेदभाव के तिहरे बोझे तले जीती हैं। गैर दलितों के समान अधिकारों की मांग करने वाले दलित पुरुष, दलित स्त्रियों को अधिकार देने से इन्कार करते हैं। अस्पृश्यता की शिकार सबसे ज्यादा दलित स्त्रियां ही बनती हैं। बूंदी जिले में केशोरायपाटन तहसील में दलितों को शौच जाने के लिए बाहर जाना पड़ता हैं। परंतु दलितों को उसके लिए जमीन का उपयोग गैर दलित नहीं करने देते। अतः उन्हें गांव से बहुत दूर जाना पड़ता हैं। दलित पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि दिन में वे बाहर जा सकते हैं। परतुं स्त्रियों को समूह में ही जाना पड़ता है, क्योंकि अकेली-दुकेली स्त्री का दूर जाना जोखिमी होता हैं। वे सिर्फ प्रातः काल जल्दी या देर रात में ही निकलती हैं। उसके लिए स्त्रियों को खास समय तक राह देखनी पड़ती है। इससे कई स्त्रियों के पेट में दर्द होता हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दवाएँ बेचते हैं, इससे समस्या दुगनी हो जाती है।

दलित पुरुषों द्वारा भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के उदाहरण हैं, पर दलित स्त्रियों के लिए यह हमेशा मुश्किल होता है। दलित पुरुष भेदभाव के विरुद्ध जिन मामलों में विरोध करते हैं वे भी अधिकांशतः पुरुषों पर असर डालते हैं। दलित पुरुषों को यह समझाने की जरूरत हैं कि जिन सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध वे लडते हैं, वे उनके घरों में भी विद्यमान हैं। विकास के सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों में दलित स्त्रियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

**पृष्ठ 11 का शेष भाग**

करता है। सम्पूर्ण व्यवस्था में यह गलत मत व्याप्त है और परिवार अथवा विवाह कायदे से असमानता के स्तरों पर आधारित है, उसकी वास्तविकता नकारते हैं। पीहर में या ससुराल में स्त्री के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नही है। पिता बेटी को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ ब्याह करने से रोकता है, भाई बहनों को सम्पति का अधिकार नहीं देते, माँ-बाप बेटियों को गले का फंदा फेंक देने के प्रोत्साहन के बजाय दुःखद संबंधों में वापिस धकेल देते हैं। घर से बाहर निकाली गई स्त्रियाँ भी शोषण का शिकार बनती हैं। आश्रयविहिन स्त्रियों हेतु निश्चित आश्रयस्थल उनमें सचमुच आश्रय नहीं देता। ये आश्रयस्थल जेल जैसे है। वहाँ भी यौन शोषण व्यापक हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों के प्रति की जाने वाली सभी प्रकार की हिंसा का समावेश होता है: शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, संवेदनात्मक, और मौखिक। उसमें बुनियादी जरूरतें पूरी न करने का, बालकों के साथ संबंधित भावना को ब्लैकमेल करने का तथा ससुराल से निकाल देने की धमकी का समावेश होता हैं। सामान्यतया स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में अधिकार देने से इन्कार किया जाना घरेलू हिंसा है।

भारत में घरेलू हिंसा के अनेक पहलू हैं। पति-पत्नी के बीच की हिंसा के अलावा बालकों के बीच की हिंसा, बालकों का यौन शोषण, घर के अन्य सदस्यों के बीच में हिंसा इत्यादि। दहेज के साथ जुड़ी हिंसा तो भारतीय समाज का एक मौलिक पक्ष है, वह सभी समाजों पर लागू पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभी भेदभावों के बावजूद वह सभी पर लागू पड़ने वाला पक्ष है। सभी वर्गों, जातियों और वर्णों पर भी यह लागू पड़ता है।

पुरुष की दृष्टि से देखें तो तलाक एक विकल्प है परतुं स्त्री को इसके लिए या ऐसे मामले में कोई भौतिक या मानसिक सहयोग प्रदान नहीं किया जाता। ज्यादातर तो उसे यों ही छोड़ दिया जाता है। अपना भरण-पोषण करने हेतु उसके पास कुछ भी नहीं होता। जो स्त्री उसके लिए हिम्मत करती है और कानून का आश्रय लेती हैं उसे घर तोड़ने वाली अथवा गुनहगार समझा जाता हैं। ऐसी दशा में स्त्री-पुरुष समानता की बात शायद ही हो सकती है।

# प्राकृतिक आपदा के पश्चात् महिलाओं की विशिष्ट जरूरतें भचाऊ (गुजरात) और आसपास के गाँवों का अध्ययन

भूकंप ने विशेष रूप से स्त्रियों की स्थिति को अधिक पेचीदा बनाया है। आवास, जीवन निर्वाह और मनोसामाजिक पुनर्वास के सवाल अधिक तीव्र बने हैं। 'उन्नति' द्वारा भचाऊ और उसके आसपास के गाँवों की विधवाओं पर किए गए अध्ययन की झलक प्रस्तुत करने वाले इस लेख को **श्री धरती दफ्तरी** (कंसल्टेंट) और **श्री अनुराधा पती** (उन्नति) द्वारा तैयार किया गया है।

## परिस्थिति

२६ जनवरी २००१ के दिन आए भूंकप ने लोगों को भारी लाचारी की परिस्थिति में टाल दिया था। निराधार स्त्रियों की स्थिति उनमें सबसे खराब थी। स्त्री की आंखों से इस स्थिति को देखना जरूरी है। आपदा के बाद का, अपना कुटुंब गंवा देने के बाद का जीवन उन्हें अत्यंत कमजोर स्थिति में टाल देता है। विशेष रूप से निम्न जाति की स्त्रियाँ और दिहाड़ी वाली स्त्रियां सामान्य स्थिति में भी जबरदस्त शोषण तले जी रही हैं। आपदा के समय उनकी स्थिति बहुत खराब थी।

भूंकप के चार माह पश्चात् भचाऊ और आसपास के गांवों में एकाकी स्त्रियों की दशा का पता लगाने के लिए अध्ययन हाथ में लिया गया था। हम भूकंप से पहले की विधवाओं और भूंकप के बाद विधवा बनी कुछ एकाकी स्त्रियों से मिले। इस विवरण में भचाऊ नगर की और नगर में ही स्थायी रहने वाली विधवाओं की बात की गई है। वे शहरी समाज के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक किनारों पर जीती हैं। विकलांग और वृद्ध स्त्रियों की हालत बहुत खराब है। अध्ययन में कई गांवों का भी समावेश किया गया है।

हमें अध्ययन के दौरान लगा कि समाज के कई वर्गों की कमजोरी को सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में दिखाया जाना चाहिए, कमजोरी का मूल महिलाओं के गिरते हुए दर्जे में निहित हैं। सामाजिक अवरोध भी स्त्रियों की गतिशीलता को मर्यादित कर देते हैं, जिससे जीवन रक्षक सूचना, आवास या राहत सामग्री उन्हें नहीं मिलती। पति की मृत्यु के छह माह बाद तक रेबारी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलतीं। इस वजह से उन्हें राहत सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई आती है। राहत और पुनर्वास का काम करने वाली संस्थाएँ भी उन तक नहीं पहुँच पाती। भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप आधारभूत जरूरतों के लिए वे परिवार के अन्य सदस्यों पर अवलंबित हो गई और उत्पीड़न का शिकार हो गई।

हमको सर्वत्र ही पुरुषों का आधिपत्य दिखा। प्राप्यता और पहुँच के मामले में पुरुषों का वर्चस्व हो तो स्त्रियों की क्षमता घटती है। आपदा के समय में उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे राहत गलत जगह पहुँच जाती है, परिवार की जरूरत की बजाय व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमे स्त्री-पुरुष भेदभाव काम करता है। परिवार के पुरुष मुखियाओं को पैसे मिलते हैं तो स्त्री को राहत या पुनर्निर्माण के काम में से पैसे मिल पाना सीमित हो जाता है।

यद्यपि स्त्रियों ने दूसरों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभायी। इससे स्त्रियों का भावना प्रधान काम भी बढ़ा और भौतिक काम भी बढ़ा। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक स्थिरता नहीं मिलती। स्त्रियों को यौन और घरेलू हिंसा का शिकार तो बनना ही पड़ता है। लेकिन आपदा के बाद की गृह निर्माण की नीतियों में अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रयासों में उनको गिनती में नहीं लिया जाता।

स्त्रियों को जब बाल्यावस्था से विविध प्रकार के शोषण का शिकार बनना पड़ता है, तो भूंकप जैसी विशाल आपदा के समय वे बहुत कमजोर बन जाती हैं। आपदा के बाद उनका यौन उत्पीड़न भी होता है। भूंकप के तत्काल बाद के समय में भी स्त्रियों को जला देने की घटनाएँ हुई थी। उसे आत्महत्या में खपाया गया ताकि मुआवजा मिले। स्त्रियों के सामने मंडराते खतरे कम करना और उनकी जरूरतें

पूरी करना एक बड़ी चिंता का विषय है। 'उन्नति' ने समुदाय की सामाजिक सुक्षा की प्रक्रिया शुरू की। इसमें समग्र समुदाय अकेली स्त्री की देखभाल करने की जिम्मेदारी वहन करता है।

सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक मान्यताएँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और समाज के विचारों पर उसका प्रभाव होता है। आपदा के समय भी रीति रिवाजों से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती ही है। मृत्यु के बाद के सभी रिवाज, विशेष रूप से पति की मृत्यु के बाद उपवास आदि अमानवीय हैं। समाज की अन्य स्त्रियां भी इन रिवाजों का पालन करने पर बल देती हैं और विधवाओं तथा एकाकी स्त्रियों की जिंदगी बहुत मुश्किल बन जाती है। जिस स्त्री को अपना जीवन अकेले ही जीना है, उस स्त्री के लिए सामाजिक नियमों के विरुद्ध लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी समय आपदा का आघात और चिंता तो होती ही है। भूकंप जैसी अधिक विनाशक और बिना पुर्वानुमान आने वाली आपदा के संदर्भ में तो ऐसा विशेष होता है।

## निर्बलता का वितरण

विभिन्न समाजों के बीच और प्रत्येक समाज के अंदर निर्बलता का वितरण अलग-अलग तरीके से हुआ होता है। गरीब देशों में गरीबों पर खतरा ज्यादा रहता है। किसी समाज में लोगों के पास संसाधन कितने हैं, उन पर उनका नियंत्रण है या नहीं इत्यादि बातों के साथ-साथ उम्र, स्त्री-पुरुष भेदभाव, सांस्कृतिक समूह, शारीरिक क्षमता और नागरिकों का दर्जा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक असुरक्षा के संदर्भ में वृद्धों, विकलांगों, अपंजीकृत, मजदूरों, घर-विहीन और गलियों में भटकते बालक अधिक निर्बल होते हैं। महिलायें तो होती ही हैं। विशेष रूप से विधवाओं की स्थिति सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्यादा खराब बन जाती हैं। हमने इन स्त्रियों के पुनर्वास की प्रक्रिया में समाज पर या सरकार द्वारा उपेक्षा न हो, इस पर ध्यान केन्द्रित किया है।

## सांस्कृतिक निर्बलता

विवाह और अन्य सामाजिक रिवाज स्त्रियों को पिता-पति या भाई पर अवलंबित कर देते हैं। कई घरों में स्त्रियां कमाने के लिए बाहर निकलती ही नहीं। स्त्रियों की क्षमता में कोई विश्वास नहीं, सम्पति के संचालन का उन्हें अधिकार नहीं। पति, पुत्र, ससुराल वाले ही उन्हें संसाधन नहीं मिलने देते। परिस्थिति में परिवर्तन लाने की उन्हें सत्ता नहीं होती। विधवाओं के लिए हालत ज्यादा खराब होती है। स्त्रियों के नेतृत्व वाले परिवार हैं अवश्य पर उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। सगे और पड़ौसी उन्हें शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से सताते हैं। विधवाओं को सम्पति का अधिकार नहीं होता। भचाऊ के अंबिकानगर औक सीतारामपुर में विधवाओं ने अपनी सम्पति इसी तरह गंवाई है। इन इलाकों के अधिकांश भाग के लोग खुले में लगे तंबुओं में चले गए हैं। चार वर्ष पूर्व छोड़ दी गई एक मुस्लिम स्त्री कुलसुमबेन कचरे के ढेर के पास लगभग अस्वास्थ्यप्रद स्थिति में जीती हैं। उसे डर है कि अगर अच्छा तंबू लेगी तो सभी का ध्यान खींचेगी और सब उसे सतायेगें। जब हमने उसके लिए अच्छे तंबू की व्यवस्था की तो वह एक रात को उस तंबू को बेचकर भाग गई। फिर वह दिखी ही नहीं।

विधवा के नाम पर जो मुआवजा मिलता है उसे सगे-संबंधी या ससुराल वाले ले लेते हैं, ऐसे भी मामले सामने हैं। वे ऐसे बहाने बनाते हैं कि वे उसके रिश्तेदार हैं अथवा उसके आश्रयदाता हैं। दरबार विधवाओं की समस्या कुछ अलग तरह की है। उनके परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। लेकिन भूकंप के पश्चात् स्त्री के नेतृत्व वाले परिवार भी बने हैं। इन स्त्रियों को कोई संसाधन या सहायता न मिले, इसके लिए दरबार समुदाय भारी दबाव डालता है। मदद मांगना इनके गौरव को हानि पहुँचाता हैं, ऐसा पुरुष मानते हैं। विधवा बाहर नहीं निकल सकती। उनके लिए घूंघट निकालना अनिवार्य है। पुनर्वास के लिए जरूरी संसाधन वे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकती। स्वयं स्त्रियां इन रिवाजों को वाजिब मानती हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उनका सामाजीकरण इसी तरह का हुआ है और वह मजबूत है।

## सामाजिक निर्बलता *

भचाऊ में २५४ विधवाएं हैं। उनमें २० से ४० की आयु की २३ प्रतिशत और ४१ से ६० की आयु की ५५ प्रतिशत हैं। २२ प्रतिशत ६१ की आयु से ऊपर की हैं। १३ प्रतिशत विधवाओं को सरकार से १ लाख रु. का मुआवजा मिला है। ४ प्रतिशत एकाकी स्त्रियां २० से ४० वर्ष की हैं। वे विधवाएं है या अविवाहिता। इनका अपमान और उत्पीड़न होता है। रात को इनके घरों के दरवाजे

खड़खड़ाये जाते हैं, घरों पर पत्थर फेंके जाते हैं। इनकी कोई सुरक्षा नहीं हैं। इनके लिए सुरक्षित आवास सबसे बड़ा प्राथमिकता का सवाल है। (* दर्शाये आंकड़े में-२००१ में किये गए अध्ययन द्वारा प्राप्त किए गये थे। वर्तमान में उसमें शायद बदलाव हो सकता है।)

## आर्थिक निर्बलता

दुनिया भर में स्त्रियां पुरुषों की बजाय गरीब हैं। विधवाओं की स्थिति अधिक खराब है। भचाऊ में सिर्फ ३ प्रतिशत विधवाएँ साक्षर हैं। ज्यादातर विधवाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। भूकंप से पहले ७१ प्रतिशत विधवाएँ घर से बाहर काम करती थीं, जबकि २९ प्रतिशत विधवाएँ कमाई का काम नहीं करती थीं। ज्यादातर विधवाएँ नमक के करखाने में काम करती हैं या घरों में कामवाली बाई की तरह काम करती हैं। कुछ विधवाएँ खेत में खेत मजदूर के रूप में काम करती हैं। वैसे भूकंप के बाद सिर्फ १९ प्रतिशत ही कुछ कमाई का काम करती हैं।

६२ प्रतिशत विधवाओं के छोटे बालक हैं। भचाऊ में भूकंप के तीन माह बाद स्त्रियों की और विशेष रूप से विधवाओं की आय घट गई है। अब उनको बालकों की देखभाल के लिए घर में ही रहना पड़ता हैं। भूकंप के पश्चात् वैसे भी रोजगार का स्वरूप बदल गया है। स्त्रियों को काम पर आते पुरुषों की बजाय ज्यादा समय लगता है। काम वाली बाई के बतौर काम उन्होंने गंवा दिया है। घर ही नहीं है तो काम कैसे मिले? पुरुष निर्माण कार्य की प्रवृत्ति से रोजगार चलाते हैं लेकिन स्त्रियों को उनसे काम नहीं मिलता। काम के नए स्थान पर जाना अथवा अनजान पुरुषों के साथ काम करना विधवाओं के लिए मुश्किल है। पुरुषों में स्थलांतरण काफी बढ़ गया है, लेकिन विधवाएँ स्थालांतरण नहीं कर सकतीं। उनके पास न ज्ञान है, न बाजार है, न संसाधन है।

## उत्पादक पूंजी का नुकसान

स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित होती है। अतः आपदा के बाद के समय में उनके लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बढ़ जाती है। स्वरोजगार में संलग्न और घरों में काम करने वाली स्त्रियों ने तो कार्य-स्थल और आपूर्ति भूकंप में गंवा दी। उनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। वे छोटी दुकानों में, नमक के

### मीठी बहन

बाल्यकाल से ही इनको लकवा है और वे ठीक से चल नहीं सकतीं। घर का काम कर लेती हैं। इनके पति दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह काम करते थे। इनकी तीन संताने हैं - दो बेटे और एक बेटी। सबसे बड़ा बेटा ११ वर्ष का हैं। उसकी आय से ही सब खाते हैं। पति किसी निर्माणाधीन घर के गिरने से मारा गया। पति का भाई है, उनके अपने भाई भी हैं। लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। वे अकेली जी रही हैं और अपने तथा अपने बालकों के भरण-पोषण के बारे में इन्हें सोचना है।

### लक्ष्मी बहन

इनका पति नमक के कारखाने में काम करता था। इनका घर गिर गया। वे और उनके बालक बच गए। इनके पति के सीने में चोट लगी और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इनके पांच संतानें हैं। सबसे बड़ी बेटी १२ वर्ष की है। इनके पति के मालिक ने इन्हें एक माह का वेतन दिया है। इन्होंने कमाने की कोशिश कभी नहीं की। तीन बेटियां हैं। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ ६ महिने का है।

### आजी बहन

कुछ वर्षों पूर्व आजी बहन और रमेशभाई अपने निजी घर में रहने गए। इनके पांच बरस की बेटी है। आजी बहन के जेठ इनके नजदीक ही रहते थे। कुटुंब की वे सबसे छोटी बहू थी। रमेशभाई भूकंप में मारे गए। सरकार की तरफ से इन्हें एक लाख का मुआवजा मिला। जेठ ने आजी बहन से बैंक में संयुक्त खाता खुलवाने की जरूरत बताई। ऐसा कहा गया कि पैसे सुरक्षित रहेंगे और आजी बहन अपनी बेटी को छोड़कर कहीं चली नहीं जाएगी।

### पुष्पा बहन

पुष्पा बहन की विधवा मां नानी चिराई में अपने बेटे के साथ रहती है। तीन वर्ष पहले पुष्पा बहन का विवाह हुआ था। उनकी डेढ़ वर्ष की बेटी थी और भूकंप के दिन नौ दिनों का एक बेटा था। पति भूकंप में मारा गया। भाई रखने की हालत में न था। अतः पति के घर जाना पड़ा था। ससुराल में जायदाद संयुक्त थी। पति जीवित था, तब तक तो सब ठीक था। क्या अब ऐसा ही रहेगा? उनको आमदनी का साधन ढूंढना है।

क्यारों में या कारखानों में या काम वाली के रूप में काम करती हैं। भूकंप के बाद सिर्फ १९ प्रतिशत विधवाओं को ही काम मिल सका है। शुरू में जो पैसे मिले, वे समाप्त हो गये। घरेलू चीजें खत्म हो रही हैं। बरतन और जेवरात बिक गए हैं।

## संभावित जीवन निर्वाह

इन विधवाओं की कुशलता सीमित है, सुविधाएँ और संसाधन प्राप्त करने की ताकत कम है, अतः निर्बलता बढ़ रही है। जीवन निर्वाह की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निम्न मुद्दे विचारणीय हैं। पाणी, नमक के क्यारे, घास-चारे जैसे संसाधन स्त्रियों के पुनर्वास हेतु जरूरी हैं। हमने घरेलू महिला कामदार और स्वरोजगार प्राप्त कारीगरों को ऋण और अनुदान दिया है ताकि वे साधन और काम का स्थान प्राप्त कर सकें। फिर, उन्हें ऋण, रसद, बाजार, पूंजी आदि मिले। महिलाएँ बाजार के लिए काम करती ही नहीं। अतः आपदा के बाद महिलाओं हेतु सीमित रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है और काम के अवसर जुटाये जा सकते हैं। 'उन्नति' ने कढ़ाई कसीदाकारी के काम को वैकल्पिक रोजगार के एक साधन के रूप में विकसित किया है। स्त्रियों का काम बहुधा सामाजिक दृष्टि से अदृश्य होता है, पर परिवार के लिए उनकी आमदनी सृजित करने की तथा जीवन जीने की प्रवृत्तियाँ अनिवार्य हैं। आर्थिक पुननिर्माण और पुनर्वास का आयोजन सभी आयु की और सभी सामाजिक समूहों की स्त्रियों के लिए जरूरी है। इसमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

(१) स्त्रियों की कुशलता। ग्रामीण इलाकों में विधवायें हस्तकला में कुशल होती हैं। वैसे वे शहरों में घर का काम भी करती हैं।

(२) आमदनी सृजित करने की सामान्य योजनायें लादें नहीं। स्त्रियां कुछ नया करने का बोझ उठाने के लिए आपदा के समय तैयार नहीं होती।

(३) पुनर्रचना के काम में महिलाओं को शामिल करना। लंबी अवधि के आर्थिक पुनरुत्थान को सहारा देना।

(४) बच्चों वाली विधवाओं के लिए शिशुसदन की सेवा मुहैया करवाना। अविधिक शिक्षण केन्द्र शुरू करना।

(५) जीवन निर्वाह में मदद देने वाली व्यूह रचनाएँ बनाने हेतु तैयार स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क जोड़ना।

(६) उद्यमियों और सहकारी मंडलियों को आश्रय प्रदान करना।

(७) महिलाओं का नेतृत्व बने और गैर परंपरागत कौशल विकसित हों, इस पर ध्यान देना।

## आवास

अकेली महिलाओं के यथाशीघ्र सुरक्षित घर प्रदान करना बहुत जरूरी है। आपदा के बाद उन पर शारीरिक और यौन आक्रमण बढ़ रहे हैं। कच्छ जिले में भी भूकंप के बाद इस तरह की परिस्थिति बनने के उदाहरण सामने आये है। उनकी चिकित्सकीय देखभाल भी जरूरी है। कई बार स्त्रियों को पुरुषों के जितनी चिकित्सकीय सुविधा भी नहीं मिलती। आवास प्रदान करने के लिए अकेली स्त्रियों, समाज के पिछड़े वर्गों और विकलांगों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। जहां स्त्री अकेली होती है वहां उसके नाम पर मकान बनवाया गया है अथवा पति-पत्नी दोनों के नाम पर मकान बनवाया गया है।

## उपसंहार

बालक और स्त्रियाँ आपदा के समय ज्यादा निर्बल बन जाते हैं अतः आपदा संचालन में आपदा निवारण और चिरंतन विकास पर ध्यान देना चाहिए। तभी असमानता के मूल कारण पर आघात किया जा सकेगा। आपदा हर किसी को प्रभावित करती है लेकिन सब पर अलग-अलग असर पड़ता है। स्त्रियों और पुरुषों की जरूरतें भी अलग होती हैं। कोई भी निर्णय लेते समय अकेली स्त्री पर ध्यान दिया जाए, यह जरूरी है। अतः उस पर क्या असर होगा या मदद मिलेगी, यह ध्यान में रखना चाहिए। समय बीतता जाता है और मदद कम होती जाती है, वैसे वैसे पुनर्वास की समस्या जटिल बनती जाती है।

समूह चर्चा के दौरान हमें जानने को मिला कि समुदाय के अंदर ही प्रभावित लोगों को सहारा देने की व्यवस्था होती है। सीतारामपुर में वाघरी और मुस्लिम स्त्रियों ने एक-दूसरे को सहारा दिया था। वे बच्चों की देखभाल करती थी। उनके सभी परिवार महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार हैं। वृद्ध विधवाओं को पुत्र और बहुएँ धमकियां देती हैं और जायदाद ले लेने की धमकी देती हैं। अतः विधवाएँ ज्यादा निर्बल हैं। राहत और पुनर्वास की सामग्री कितनी समान रीति से वितरित होती है, यह महत्त्वपूर्ण है।

# संदर्भ सामग्री

## विस्थापन की त्रासदी

यह लघु पुस्तिका विशाल बांधों से होने वाले विस्थापन के प्रश्नों को उजागर करती है। पुस्तिका तीन प्रकरणों में विभाजित है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर योजना बनी थी, उससे लोगों के विस्थापन और उसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को बारे में विश्लेषण किया गया है। भारत के विशाल बांधों का इसमें ब्यौरा दिया गया है, साथ ही पर्यावरणविद और समाजशास्त्री इन विशाल बांधों का विरोध क्यों करते हैं इसके कारण भी दिये गए हैं।

चंबल घाटी विकास परियोजना के एक भाग के रूप में गांधी सागर योजना बनायी गयी है। इस योजना की वजह से कई गाँवों के कितने ही परिवारों की जमीन डूब गई है और उनको वाकई कितना मुआवजा चुकाया गया, इसका विवरण दिया गया है। सरकार ने विस्थापितों को जो वचन दिये थे, उनमें से कई वचन पूरे नहीं किये गए। पुस्तिका में कुल ११ लघु तालिकाओं में आकड़ों का विवरण दिया गया है। इस गांधीसागर योजना का लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगा, अतः दोनों राज्यों के बीच तुलना प्रस्तुत की गई है। गांधी सागर योजना सामाजिक और पर्यावरण संबंधी असंतुलन बढ़ाने वाली योजना कैसे बन गई है, और महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर विस्थापन का कैसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसकी यह पुस्तिका विशद जांच-पड़ताल करती है।

प्रकाशकः दिशा संवाद, पोस्टः रोहना, जि. होशंगाबाद, मध्यप्रदेश-४६१००१. पृ. ५६, सहयोग राशि रु. २०/-

## बाघ के बच्चे हैं हम

२२ पृष्ठों की इस पुस्तिका के लेखक ने खानदेश अर्थात् महाराष्ट्र के धूळिया और नंदुरबार जिले के आदिवासियों के साथ 'श्रमिक संघटना' के नेतृत्व तले काम किया है। लेखक ने अपने काम के साथ-साथ आदिवासियों के इतिहास की भी जांच-पड़ताल की है। यह पड़ताल पहले एक मराठी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई। उसका यह अनुवाद है। इसमें खानदेश और उसके आसपास के आदिवासी वीरों का इतिहास दिया गया है। पुस्तिका में १० प्रकरण हैं। खाज्या नाईक, भागोजी नाईक, तात्या भील, गुला महाराज और अंबर दादा जैसे आदिवासी वीरों की जीवनगाथा इसमें प्रकाशित है। १८५७ के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के दौरान और उसके बाद इन आदिवासी वीरनायकों की क्या भूमिका रही है, इसका विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की क्या दशा की, और उनके सर्वाधिक महत्त्व के प्राकृतिक संसाधन जैसे वनों से उन्हें किस तरह अलग कर दिया, उसकी थोड़ी बहुत झांकी भी इस पुस्तिका में उपलब्ध है।

पुस्तिका के लेखन में अनेक शोधों का उपयोग किया गया है। विभिन्न आदिवासी समाजों में इतिहास के बारे में अनेक नासमझियां फैली हुई हैं और आज भी फैल रही है। ऐसे में यह लघु इतिहास पुस्तिका सही दिशा में एक कदम है।

लेखकः दीनानाथ मनोहर, अनुवादः जयश्री, प्रकाशकः दिशा संवाद, पोस्टः रोहना, जि. होशंगाबाद, मध्यप्रदेश-४६१००१

## बोल बसंतो

कानूनी साक्षरता के उद्देश्य से बनाई गई दस भाग की यह एक धारावाही फिल्म है। यह धारावाही अपने जीवन में रोजमर्रा उत्पन्न होने वाली सामाजिक कानूनी समस्याओं को समझाने का एक प्रयास है। यह धारावाही बसंतो नामक एक समझदार और खुद्दार पुराने कपड़ों में बदले में बरतन बेचने वाली स्त्री, समाज सेवा की भावना से प्रेरित वकील सत्यव्रत और जीवन की तमाम समस्याओं के घिरी लाजो के आसपास घूमता है। कानून की जानकारी से बसंतो और लाजो किस तरह सक्षम बनती है, यह फिल्म इसके बारे में बताती है। दो वीडियो कैसेट्स में यह दस भाग की श्रृंखला बुनी गई है। प्रथम वीडियो कैसेट में पांच भाग इस प्रकार हैं:

(१) तो क्या होता जी! यह भाग बताता है कि कानून क्या है
(२) ऐसे होती है शादी। यह भाग कानूनी और गैर कानूनी विवाह के बारे में बताता है।
(३) रोती ये धरती देखो। इसमें दहेज की बात गूंथी गई है।
(४) कब तक सहती रहें। इसमें तलाक और भरण-पोषण की चर्चा है।
(५) अपना हक, अपनी जमीन। इस भाग में सम्पति और उत्तराधिकार के बारे में जानकारी दी गई है।

दूसरी वीडियो कैसेट के दूसरे पांच भाग इस प्रकार हैं:
(१) कहानी जो आंखों से बही। इस भाग में बलात्कार और अपहरण के बार में बात कही गई है।
(२) और पुलिस पर भी। यह दूसरा भाग पुलिस के कर्तव्य और लोगों के कानूनी अधिकारों की बात बताता है।
(३) मजदूरी की राह। इस भाग में मजदूरों के कानून और दुर्घटना के मामले में मुआवजे की जानकारी दी गई है।
(४) जुगत करो जीने की। यह भाग बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, कांट्रेक्ट मजदूरी आदि के बारे में कानूनी जानकारी देता है।
(५) और कितने दिन। इसमें यह बताया गया है कि कानूनी सहायता से बसंतो की विकास यात्रा कैसे संभव बन पाती है। इस फिल्म का उद्देश्य चहारदीवारी के भीतर छिपी सच्चाई को बाहर लाना है ताकि उसके बाबत हमारे समाज में चर्चा हो, विचार मंथन हो और अंततः परिवर्तन आए।

प्राप्ति स्थानः कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, भाग (मल्टिपल ऐक्शन रिसर्च ग्रुप), १२५, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-११००४९, फोनः ६४९७४८३, ६४९५३७१, ई-मेलः marg@de12.vsnl.net.in

## प्रोबायोटिक जैविक खाद पद्धति

इस पुस्तक का नाम है: 'असिंचित सजीव खेती में अतिशय उपज हेतु प्रोबायोटिक जैविक खाद पद्धति और उसके कृषक-प्रयोगों के परिणाम, इस पुस्तक के पहले भाग में प्रोबायोटिक जैविक खाद पद्धति सरलता से समझाने हेतु जानकारी प्रदान की गई है। इस जानकारी से किसान और उनमे समूह या मंडल पूंजी विनिवेश हेतु पैसों की व्यवस्था करने के लिए कदम उठा सकेंगे। पुस्तक के दूसरे भाग में कुछ खास कृषक-प्रयोगों की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें प्रोबायोटिक खाद को उपयोग में लाने के विविध प्रभावों और लाभों के बारे में जानकारी दी गई है।'शोध और रचनांत्रण संस्था (ईष्ट) द्वारा १४ वर्ष पूर्व जैविक खाद बनाने का शोध शुरू किया गया था। उसके प्रयास सफल रहे और प्रोबायोटिक जैविक खाद पद्धति स्थापित हुई। पिछले १२ वर्षों में गुजरात के ६ जिलों के २० गांवों के २०० किसानों ने ४० से अधिक सिंचित और असिंचित उपजों में प्रयोग करके इस पद्धति की छानबीन और सुधार किये। अब इस पद्धति को बड़े पैमाने पर अमल में लाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी 'ईष्ट' की मान्यता है।

८८ पृष्ठों की इस पुस्तक में २० प्रकरण हैं। उनमें किस इलाके में किन स्थितियों में प्रोबायोटिक जैविक खाद किस फसल में कितनी मात्रा में उपयोग में लाई गई और उसका प्रति हैक्टेयर कितना लाभ हुआ, इसका विवरण तालिकाओं और फोटोग्राफ के साथ दी गई है। शोध अनुसंधान कार्य में रुचि लेने वाले सभी पाठकों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रशासकों को भी इस जानकारी से प्रोबायोटिक खाद पद्धति की उपयोगिता के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। खेती के क्षेत्र में तथा जीवन निर्वाह के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए यह पुस्तक विशेष उपयोगी होगी। लेखकः जगदीश नैजरथ, अनुवादः पिनाकिन छाया,

प्राप्ति स्थानः 'शोध एवं रचनांत्रण संस्था', १, राजलक्ष्मी भवन, नये गायत्री मंदिर के सामने, जूना वाड़ज, अहमदाबाद-३८००१३, फोनः ७५५९०६०, ७५५९०६७, ७५५७५३७.

## महिलाओं की गवाही

गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं पर हिंसा के आकलन हेतु दिल्ली, बेंगलूर, तमिलनाडु तथा अहमदाबाद की महिलाओं की छह सदस्यों की टुकड़ी ने २७ मार्च से ३१ मार्च २००२ के दौरान गुजरात का दौरा किया। इस जांच का उद्देश्य उस हकीकत की खोज करना और उसका विश्लेषण करना था कि जिसके आधार पर गुजरात की हिंसा के स्वरूप को पहचाना जा सके। इस तहकीकात का विवरण इस पुस्तक में है। पुस्तक में पांच

प्रकरण हैं:

(१) महिलाओं के प्रति यौन हिंसा।

(२) महिलाओं के अनुभव का राज्य का स्वरूप

(३) शिविरों का दौरा

(४) अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज का उल्लंघन

(५) निष्कर्ष और सिफारिशें।

अंत में दो भागों में परिशिष्ट दिया गया है। पहला भाग महिलाओं के प्रति यौन हिंसा का है। इसमें पांच महिलाओं के बयान हैं और 'संदेश' तथा 'गुजरात समाचार' अखबार में प्रकाशित कई अंश हैं। दूसरे भाग में राज्य सत्ता के विषय में महिलाओं के अनुभव हैं। इसमें अहमदाबाद के नरोडा क्षेत्र की विधानसभा सदस्य माया कोडनानी, साबरकांठा जिले के लक्ष्मीपुरा गांव की सरपंच नथीबेन और चिथरोडा के सरपंच केशुभाई पटेल से साक्षात्कार का विवरण दिया गया है। गुजरात में दंगों के दौरान महिलाओं की जो दशा हुई उसका चित्रण ६० पृष्ठों की इस हिंदी पुस्तक में मिलता है।

प्राप्ति स्थान: गगन सेठी, फोन: ०७९-६८५६६८५, ई-मेल: janvikas_eg@icenet.net

## नारी सृष्टि: बंधन और मुक्ति, स्त्री सप्तक, एक नया आकाश

ये तीनों पुस्तकें गुजरात विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग की प्राध्यापिका सुश्री गीता चावड़ा की लिखी हुई हैं। इन्हें नारीवादत्रयी के रूप में पहचाना जाता है। इनसे नारी की समस्याओं के वैचारिक पहलू की पहचान मिलती है और स्त्री मुक्ति हेतु अभिगमों की चर्चा मिलती है।

'नारी-सृष्टि: बंधन और मुक्ति' पुस्तक १३६ पृष्ठ की है। इसमें १० प्रकरण हैं। नारी अधीनता के विचार और नारी मुक्ति विषय के विविध नारीवाद सिद्धांतों की इसमें चर्चा की गई है। उदारमतवादी नारीवादी, मार्क्सवादी नारीवाद, उद्दामवादी नारीवाद, नारीवादी आध्यात्मिकता, मनोविश्लेषणवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अस्तित्ववादी नारीवाद, अत्याधुनिक नारीवाद और नारीवाद के क्रमिक विकास के विषय में इस पुस्तक में विशद चर्चा की गई है। इसमें नारीवादियों के विविध सिद्धांत सरल भाषा में समझाये गए हैं और भारत की वर्तमान स्थिति में इनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता की चर्चा भी की गई है।

'स्त्री सप्तक' स्त्री को स्पर्श करने वाले सात लेखों का संकलन है। यह १६१ पृष्ठों की पुस्तक है। स्त्री अधीनता और पितृसत्तात्मक संकल्पना, भारतीय संदर्भ में स्त्री का यौन व्यवहार और धर्म, भारत में ढांचागत अनुकूलन नीति का स्त्रियों पर प्रभाव, भारत में स्त्रियों हेतु राष्ट्रीय व्यवस्थातंत्र, स्त्री और पर्यावरणीय विवाद, भारतीय स्त्री का दर्जा: धार्मिक आध्यात्मिक प्रेरणा तथा समता, विकास और नारीवाद के बारे में इस पुस्तक में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व के और स्वातंत्र्योपरांत समाज सुधार हेतु किये गए आंदोलनों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों ने स्त्री-अधीनता पर किस तरह प्रभाव डाला है, इसे पुस्तक के वाचन से आसानी से समझा जा सकता हैं।

'एक नया आकाश' ३३४ पृष्ठों की पुस्तक है। इसमें लेखिका नारीवाद को श्री अरविंद और श्रीमाताजी के चिंतन के द्वारा देखती है। इस पुस्तक का दूसरा और तीसरा प्रकरण प्रथम पुस्तक में ही है। नारीवादी विचारों में आध्यात्मिकता की प्रासंगिकता, श्री अरविंद की सामाजिक फिलोसोफी स्त्री अधीनता और मुक्ति: श्री अरविंद और श्री माताजी, नारीवादी सिद्धांतों में आध्यात्मिकता का योगदान और एक नया आकाश इत्यादि इस पुस्तक में नए प्रकरण हैं। अंतिम सातवें प्रकरण में वैयक्तिक अध्ययनों और समस्याओं के उपचार की पद्धतियां दी गई हैं।

तीनों पुस्तकों के अंत में इस विषय की विस्तृत संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है, जो इस विषय पर विशेष अध्ययन हेतु दिशा देती है। स्त्री के विकास हेतु काम करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं की वैचारिक शुद्धि हेतु ये पुस्तकें उपयोगी हैं। तीनों पुस्तकों का कुल मूल्य ३४० रु. है।

प्राप्ति स्थान: अक्षरभारती प्रकाशन ५, राज गुलाब शोपिंग सेंटर, वाणियावाड़, भुज-३७०००१. फोन: ५५६४९.

विगत तीन माह के दौरान हमने निम्न प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

## कच्छ के भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास

विगत तीन माह के दौरान विधवाओं, विकलांगों और कसीदाकारी करने वाली स्त्रियों जैसे निर्बल वर्गों के समूहों के गठन हेतु सघन प्रयास किया। ३४ बुनकर परिवारों को ढांचागत सुविधाओं का सहारा प्रदान किया गया और उनके वर्कशेड का पुनर्बांधकाम सम्पन्न हुआ। ब्लोक प्रिंटिंग करने वालों हेतु १२ वर्कशेड फिर से बनाए गए। जीवन-निर्वाह की प्रवृत्तियों के द्वारा अनेक नयी वस्तुएँ विकसित की गई। भचाऊ नगर के एक भाग हेतु पुनर्वास की एक वैकल्पिक योजना सरकार के सामने रखी गई। इससे जिनका पुनर्वास करना है, ऐसे परिवारों की संख्या में कमी होगी और ३० प्रतिशत जमीन बचेगी। वर्षा के पानी को निकालने की समस्या को भी इसमें ध्यान में रखा है।

## राजस्थान में दलित नेताओं की क्षमता वृद्धि

'दलित अधिकार अभियान की वार्षिक समीक्षा यह दर्शाती है कि सार्वजनिक स्थानों में होने वाले भेदभाव के निवारण की समस्या में प्रगति हुई है। साथ ही साथ दलितों के संगठन की प्रक्रिया अधिक मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए अनेक सवाल चिन्हित किये गए हैं। पानी लेने में समानता हो, जमीन दबाने के सवाल पर आवाज बुलंद की जाय, तथा जमीन का पट्टा होते हुए जमीन खाली न कराई जाए, ऐसे सवालों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। स्थानीय स्तर पर दलित संदर्भ और सूचना केन्द्र दलित नेताओं की क्षमता-वृद्धि हेतु अनिवार्य है, ऐसा तय किया गया। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यूह रचना बाद में गढ़ी जाएगी। संभावी संस्थाओं नें अंबेड़कर जयंती के लिए रैलियों का आयोजन किया था। उसके अंत में उभरी दलित समस्याओं के बारे में चर्चा की गई।

## स्थानीय स्तर पर स्वशासन

राजस्थान में झुनझुनू जिले के अल्सीसर ब्लॉक में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु पांच ग्राम पंचायतों की महिला सदस्यों को विशेष ग्राम सभा बुलाने हेतु अप्रैल २००२ के दौरान विशेष प्रोत्साहन दिया गया। इस ग्राम सभा में महिलाओं ने नशाबंदी, बालिकाओं के शिक्षण तथा स्त्रियों संबंधी योजनाओं के बारे में मुद्दा उठाया गया। राजस्थान में प्रत्येक पंचायत संदर्भ केन्द्र के द्वारा संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आयोजन हेतु बैठकें की गई। इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और दलित जैसे वर्गों की भागीदारी को बढ़ाना था, इसके परिणामस्वरूप चार ग्राम पंचायतों में भेदभाव का सवाल उठाने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया और २० ग्राम पंचायतों में महिलाओं से, विशेष रूप से गरीबी-रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों से संबंधित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना तय किया गया।

## ग्राम पंचायतों की सदस्यों की क्षमता वृद्धि

गुजरात में दिसंबर २००१ के चुनावों के बाद नए ग्राम पंचायतों के चुने हुए सदस्यों हेतु करीबन १२ एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाये गए। 'विकसत' और ऐ. के. आर. एस. पी. के सहयोग से चार 'पंचायत संदर्भ केन्द्र' द्वारा ये शिविर लगाये गये। इनमें ५२ गांवों के सरपंचों और ३३३ पंचायत सदस्यों ने भाग लिया था। गुजरात की स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उसमें १५ संस्थाओं के २७ कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया था। उसका प्रयोजन स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं की क्षमता बढ़ाना था ताकि वे बाद में पंचायतों के चयनित प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ा सकें। सामाजिक न्याय समिति के सदस्य निर्बल वर्गों के सवाल उठाने हेतु सक्षम बने इसके लिए गुजरात के साबरकांठा जिले की ४ तहसीलों में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। जिले में ८ संगठनों द्वारा इस काम को आगे बढ़ाने हेतु एक 'सामाजिक न्याय मंच' का सृजन किया गया है।

राजस्थान में गोविंदगढ़ और आसपुर क्षेत्र में सरपंचों का दूसरे दौर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसका प्रयोजन भेदभाव की

सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेना था।

## आपदा के मुकाबले की तैयारी और संचालन में पंचायतों की भूमिका

आपदा संचालन में पंचायतों की भूमिका के बारे में गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से भूकंप के पश्चात एक अध्ययन हाथ में लिया गया। निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सदस्यों की क्षमता में विश्वास का अभाव उन्हें शामिल न करने का मुख्य कारण है। इसके आधार पर पंचायतों में चयनित प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि हेतु आपदा के मुकाबले की तैयारी और संचालन के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया गया। दिनांक ७-५-२००२ को इस विषय में राज्यस्तरीय चर्चा सभा भी आयोजित की गई, जिसमें GSDMA, OSDMA, UNGPA, NIRD समेत अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं और दाता संस्थाओं ने भाग लिया था।

## विकलांगता के सवाल पर कार्य सेवा

'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के सहयोग से 'विकलांगों' हेतु तथा साथ में काम करने के लिए सभ्य समाज की क्षमता वृद्धि नामक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। गुजरात की स्थानीय सहभागी संस्थाओं के सहयोग से इसे एक अभियान के बतौर चलाया जाएगा।

## 'चरखा' के कार्य

पिछले तीन माह दौरान ५८ लेख प्रकाशित किये गए हैं। गत वर्ष के गुजरात भूकंप के बाद तो विधायक विकासलक्ष्यी अनुभव हुए, उनके विषय में भी लेख तैयार किये गए। विशेष रूप से महिलाओं बालकों, स्वास्थ्य, मकानों की मरम्मत, खेती और खेती से भिन्न जीवन निर्वाह की प्रवृत्तियों, पुनर्वास में महिलाओं का नेतृत्व आदि पर विशेष रूप से लेख तैयार कराये गए। पानी, असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता, प्रदूषण, औद्योगिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य जैसे अन्य प्रश्नों को भी समाहित किया गया। लगभग २५ संगठनों हेतु लेखन-कौशल विषय पर ८ शिविर रखे गए, जिनमें १०० कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। ८ संगठनों को मीडिया सहयोग प्रदान किया गया।

उन्नति

**उन्नति**

**विकास शिक्षण संस्थान**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-642185, फैक्सः 0291-643248 email: unnati@datainfosys.net

**रूपांकनः** रमेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

**मुद्रकः** कलरमैन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयूर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।